

3.1 बिहार में विद्युत-शक्ति वितरण उपयोगिता की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

विद्युत-शक्ति क्षेत्र की वितरण प्रणाली उत्पादन तथा उपभोक्ता के बीच अंतिम संबंध स्थापित करती है। 31 मार्च 2011 तक बोर्ड के पास 1.42 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) लाईन, का 473 सब-स्टेशन एवं 43491 विभिन्न क्षमता वाले वितरण ट्रांसफॉर्मर का नेटवर्क था। वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) का आवर्त (टर्नओवर) ₹ 2409.69 करोड़ था, जो कि राज्य लोक क्षेत्र उपक्रम का आवर्त के 47.14 प्रतिशत तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 1.13 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2011 तक इसने 11651 कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया।

वितरण नेटवर्क योजना

समीक्षा अवधि के दौरान 291 सब-स्टेशन तथा 3062.7 एमवीए क्षमता की आयोजित वृद्धि के विरुद्ध, वितरण प्रणाली में केवल 111 सब-स्टेशन तथा 1912.70 एमवीए की वृद्धि हुई। वर्ष 2010-11 में अप्रभावी अंचल-वार योजना के कारण आयोजित परिणमन (प्लान्ड ट्रांसफॉर्मेशन) क्षमता तथा प्रक्षिप्त सम्बद्ध (प्रोजेक्टेड कनेक्टेड) लोड में भारी अंतर आ गया।

अप्रभावी योजना

40 पीएसएस के निर्माण की योजना बनाने के साथ-साथ इसके संबद्ध लाइनों के निर्माण की योजना नहीं की गई थी। फलस्वरूप, ₹11.53 करोड़ के व्यय से निर्मित 40 पीएसएस में 12 पीएसएस को आवेशित नहीं किया जा सका तथा यह आठ महीनों से बेकार पड़ा रहा। इसके अतिरिक्त, अप्रभावी योजना के कारण जोड़ने वाली लाइनों के निर्माण की लागत में अनुमानित लागत से ₹ 4.80 करोड़ की वृद्धि हो गई।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

ग्रामीण विद्युतीकरण

शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। 28140 लक्षित गाँवों में मार्च 2011 तक केवल 20573 गाँवों में विद्युतीकरण के आधारभूत संरचना का कार्य पूर्ण हुआ था। बिहार के आठ जिलों में, जहाँ बोर्ड कार्यकारी अभिकर्ता था, अक्टूबर 2011 तक विद्युतीकरण किए जाने वाले 4714 गाँवों में केवल 1920 गाँव का ही विद्युतीकरण हो सका। 27.62 लाख बीपीएल ग्रामीण घरों (आरएचएच) में विद्युत उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध, केवल 18.18 लाख (65.83 प्रतिशत) ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण किया गया (सितम्बर 2011)।

संविदा प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण परियोजना लागत में ₹ 103.69 करोड़ की वृद्धि हुई तथा आरजीजीवीवाई के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

3038 डीटीआर के संस्थापन में हुए ₹ 24.18 करोड़ की राशि का व्यय निष्फल हुआ, चूँकि अप्राधिकृत कनेक्शन को रोकने में बोर्ड की सुस्ती के कारण डीटीआर गारंटी अवधि में ही खराब हो गए।

एपीडीआरपी

भूमिगत तार बिछाने के कार्य के निष्पादन हेतु अधिनिर्णय प्रक्रिया का पालन किए बिना बोर्ड ने एपीडीआरपी स्कीम का निष्पादन कार्य करने के लिए पीजीसीआईएल (परामर्शदाता) को मनोनीत किया। यदि बोर्ड ने स्कीम का कार्य स्वयं किया होता, तो बोर्ड को पर्यवेक्षण प्रभार के मद में

₹ 6.24 करोड़ की बचत हुई होती। पुनः परियोजना लागत के कम-प्राक्कलन के कारण बोर्ड ने ₹ 2.95 करोड़ के अनुदान प्राप्त करने के अवसर को खो दिया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के अकुशल अनुश्रवण एवं निम्नस्तरीय समन्वय के कारण परियोजना ₹ 65.69 करोड़ की लागत वृद्धि का शिकार हुई।

ऊर्जा लेखांकन द्वारा टी0 एण्ड डी0 हानि दूर करने हेतु बोर्ड ने सिस्टम मीटरिंग पर ₹ 69.21 करोड़ का व्यय किया। तथापि, संग्रहित आंकड़ों के विश्लेषण पर अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में, बोर्ड परियोजना का अनुमानित लाभ नहीं ले सका।

पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0)

स्कीम के गतिविधियों के समकालन नहीं करने के कारण वर्ष 2009-11 के दौरान प्राप्त ₹ 68.37 करोड़ की कुल राशि में बोर्ड मार्च 2011 तक ₹ 12.31 करोड़ ही उपयोग कर सका।

निर्दिष्ट समय में आई0टी0 क्रियान्वयन एजेंसी को नियुक्त करने में बोर्ड की असफलता के कारण आई0टी0 समर्थित प्रणाली में नौ महीने का विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, स्काडा/डी0एम0एस0 परियोजना में आई0टी0 परामर्शदाता का चयन सात महीने विलम्ब के बाद हुआ। 15 माह विलम्ब के बाद परामर्शदाता ने अप्रैल 2011 में डी0पी0आर0 प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन पी0एफ0सी0 ने नवम्बर 2011 में किया। चूँकि डी0पी0आर0 के चयन एवं अनुमोदन में प्रारम्भिक विलम्ब था, निर्दिष्ट अवधि में परियोजना को पूर्ण करने तथा ऋण को अनुदान में परिवर्तन करने की संभावना कम थी।

बोर्ड द्वारा किसी भी वर्ष में उपभोक्ता मीटर संस्थापन करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। लक्ष्य के विरुद्ध संस्थापित मीटर की प्रतिशतता का परास निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 26.59 प्रतिशत से 36.6 प्रतिशत था।

प्रचालन क्षमता

अअनुसूचित विनिमय के अधीन विद्युत-शक्ति का आहरण के कारण वर्ष 2006-11 के दौरान दीर्घावधि विद्युत-शक्ति क्रय की लागत की तुलना में बोर्ड ने 1211.51 एम0यू0 पर

₹ 254.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड यू0आई0 प्रभार का भुगतान समय पर नहीं कर सका जिसके कारण वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान विलम्बित भुगतान पर ₹ 20.95 करोड़ के दायिदक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

वर्ष 2008-09 की अवधि के अलावा, बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत बोर्ड टी0 एण्ड डी0 हानि को कम नहीं कर सका। वर्ष 2006-11 के दौरान 1768.66 एम0यू0 ऊर्जा की हानि हुई। इसके कारण बोर्ड को ₹ 638.55 करोड़ की राजस्व हानि सहनी पड़ी।

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान डी0टी0आर0 के खराबी की प्रतिशतता में वृद्धि हुई तथा इसका परास कुल संस्थापित डी0टी0आर0 के 10.40 तथा 17.46 प्रतिशत के बीच रहा। 120 डी0टी0आर0 गारंटी अवधि में खराब हो गए। इनमें से 112 डी0टी0आर0 दो दिन से लेकर 237 दिनों के विलम्ब के पश्चात् बदल दिया गया/मरम्मत किया गया। इसके अतिरिक्त, आठ डी0टी0आर0 पाँच माह से तीन वर्षों के विलम्ब के पश्चात् भी मरम्मत/बदले नहीं गए (दिसम्बर 2011)।

वितरण प्रणाली में कैपेसिटर बैंक का संस्थापन नहीं होने के कारण बोर्ड को 20.01 एम0यू0 की नियोजित ऊर्जा बचत नहीं हुई जिसकी कीमत ₹ 6.09 करोड़ थी।

छापामारी दल द्वारा उपभोक्ताओं की संख्या की जाँच की प्रतिशतता निम्न थी तथा इसका परास 0.08 प्रतिशत से 0.24 प्रतिशत के बीच रहा।

विपत्रीकरण क्षमता

निष्पादन लेखा परीक्षा अवधि के दौरान विपत्रित किए गए ऊर्जा का परास विक्रय हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा का 56.36 से 61.95 प्रतिशत के बीच था। इसके अतिरिक्त, निर्धारित विक्रय मीटरगत विक्रय का 31.11 प्रतिशत से 42.04 प्रतिशत था।

ट्रांसफॉर्मर क्षमता के सापेक्ष टैरिफ प्रावधानों के गलत अनुप्रयोग के कारण, बोर्ड को ₹ 4.84 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। एक एच0टी0एस0एस0 के मामले में न्यून निर्धारण तथा संविदा माँग के न्यून विपत्रीकरण के कारण भी बोर्ड को

₹ 2.45 करोड़ के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

राजस्व संग्रहण क्षमता

वर्ष के अंत में बकाया देय राशि का परास वर्ष 2006-07 में ₹ 5749.43 करोड़ तथा वर्ष 2010-11 में ₹ 5700.20 करोड़ के बीच रहा। बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन नहीं होने के फलस्वरूप ₹ 245.98 करोड़ तक के बकायों का अम्बार लग गया।

वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

बोर्ड के संचित हानि में 281.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह वर्ष 2006-07 में ₹ 1524.71 करोड़ से 2010-11 में ₹ 5820.86 करोड़ हो गया। बोर्ड के हानि होने के मुख्य कारण उच्च दर पर विद्युत शक्ति का क्रय, ब्याज तथा वित्त प्रभार था।

बोर्ड का ऋण भी 52.29 प्रतिशत बढ़ गया तथा यह 2006-07 में ₹ 5577.62 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 8493.88 करोड़ हो गया। वर्ष 2010-11 के दौरान प्रति इकाई हानि वर्ष 2006-07 में ₹ 1.12 प्रति इकाई से बढ़कर ₹ 1.65 प्रति इकाई हो गया।

वित्तीय प्रबंधन

कुल राजस्व आवश्यकता दाखिल करना

ए0आर0आर0 दाखिल करने में हुई विलम्ब (80 से 399 दिन) के कारण वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान बोर्ड को ₹ 963.85 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

साहाय्य सहायता

राज्य सरकार से साहाय्य सहायता का परास 42.97 प्रतिशत से 56.43 प्रतिशत के बीच रहा। यह चिंताजनक था क्योंकि चरणबद्ध तरीके से एक समयावधि के बाद साहाय्य वापस लिया जा सकता था ताकि टैरिफ उपभोक्ताओं को विद्युत-आपूर्ति के औसत मूल्य को पूर्ण कर सके।

उपभोक्ता तुष्टीकरण

उपभोक्ता शिकायतों का निवारण

वर्ष 2008-11 की अवधि के दौरान लम्बित शिकायतों का परास 33000 से 52000 के बीच था। इस अवधि के दौरान कुल शिकायतों में से निवारण

किए गए शिकायतों की प्रतिशतता का परास 15.74 प्रतिशत से 27.46 प्रतिशत के बीच रहा।

ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा

वर्ष 2006-11 के दौरान बोर्ड ने किसी ऊर्जा संरक्षण नीति का प्रतिपादन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा लेखापरीक्षा का आयोजन भी नहीं हो सका चूंकि शत प्रतिशत सिस्टम मीटरिंग नहीं हुआ था।

निष्कर्ष

बोर्ड को हानि मुख्यतः उच्च लागत पर विद्युत शक्ति का क्रय, ब्याज तथा वित्त प्रभारों के कारण हुई। बोर्ड ने विद्युत शक्ति क्रय का सही निर्धारण नहीं किया जिसके फलस्वरूप यू0आई0 के माध्यम से विद्युत शक्ति के निकास पर बोर्ड को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। विभिन्न स्कीमों एवं अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड ऋण पर निर्भर था। टी0 एण्ड डी0 हानि को कम कर तथा इसके प्रचालन, विपत्रीकरण एवं संग्रहण क्षमता में सुधार कर इसी घटाया जा सकता है। वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण तथा उत्थान हेतु आरंभ किए गए केंद्र प्रायोजित स्कीमों तथा राज्य विशेष स्कीमों को ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किया जाना चाहिए ताकि भितव्ययिता क्षमता एवं प्रभाव सुनिश्चित हो सके। बोर्ड ने ए0आर0आर0 भी समय पर समर्पित नहीं किया तथा प्रति साहाय्य देना भी मानकों से परे था।

अनुशंसाएँ

पूर्व लोड वृद्धि प्रवृत्ति, वर्तमान लोड, तथा भविष्य में प्रक्षेपित लोड वृद्धि के आधार पर अतिरिक्त आधारभूत संरचना के सृजन हेतु योजना बनानी चाहिए ताकि प्रणाली समान रूप से समर्थ हो तथा सभी अंचलों में परिणमन (ट्रांसफॉर्मेशन) क्षमता तथा संबद्ध लोड के बीच की रिक्ति को घटाया जा सके।

समय एवं लागत वृद्धि से बचने के लिए प्रभावी संविदा प्रबंधन तथा परियोजनाओं एवं स्कीमों के निष्पादन का नियमित अनुश्रवण होना चाहिए।

बोर्ड को चरणबद्ध तरीके से टी0 एण्ड डी0 हानि कम करने के लिए प्रभावी उपाय क्रियान्वित करना चाहिए।

विपत्रीकरण प्रणाली में टैरिफ ऑडर का सही अनुप्रयोग सुनिश्चित होना चाहिए तथा बोर्ड को बकाया देय राशि की वसूली तथा संग्रहण में तत्पर रहना चाहिए।

बोर्ड को समय पर ए0आर0आर0 दाखिल करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि संशोधित टैरिफ के विलम्बित

क्रियान्वयन के कारण हुई हानि को कम किया जा सके।

बोर्ड को सभी आपूर्ति अंचल में सिस्टम मीटर का संस्थापन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ऊर्जा लेखापरीक्षा आरंभ किया जा सके साथ ही बोर्ड को ऊर्जा संरक्षण से संबंधित जागृति अभियान की शुरुआत करनी चाहिए।

3.1 परिचय

3.1.1 हमारे जीवन के सभी पहलू के लिए विद्युत एक मूलभूत आवश्यकता है। वस्तुतः यह मनुष्यों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता बन गया है। यह एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है जिस पर देश का सामाजिक-आर्थिक विकास निर्भर करता है। सम्पूर्ण विकास के लिए ग्रामीण भारत को उचित मूल्य पर विद्युत की आपूर्ति आवश्यक है। प्रतिस्पर्धात्मक दर पर विश्वसनीय एवं गुणवत्ता विद्युत शक्ति की उपलब्धता उद्योग को विश्वव्यापी रूप से प्रतियोगी बनाती है तथा इसे रोजगार सृजन की विशाल क्षमता का उपयोग करने में समर्थ बनाती है। इस खण्ड के संधारित वृद्धि हेतु विद्युत शक्ति की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह मानते हुए कि तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा गरीबी कम करने हेतु विद्युत शक्ति एक आवश्यक कुंजी है, राष्ट्र ने सभी घरों को विद्युत प्रदान करने का लक्ष्य कर लिया है।

उपर्युक्त कथित विद्युत-शक्ति की महत्ता की मूल प्राचलिक की प्राप्ति वितरण क्षेत्र के जिम्मे आता है। विद्युत-शक्ति क्षेत्र में वितरण प्रणाली उत्पादन तथा उपभोक्ता के बीच अंतिम कड़ी है। पर्याप्त संसाधनों का सृजन करने हेतु वित्तीय रणनीति बनाने के अतिरिक्त राष्ट्रीय विद्युत योजना (एन0ई0पी0) ने प्रणाली उन्नयन, संचरण एवं वितरण (टी0 एण्ड डी0) क्षति का नियंत्रण एवं कमी/विद्युत शक्ति की चोरी तथा क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने को केन्द्रित कर विद्युत-शक्ति वितरण क्षेत्र में सुधार प्रस्तावित किया। साथ ही राष्ट्रीय विद्युत योजना ने डिमाण्ड साईड मैनेजमेंट (डी0एस0एम0) तथा लोड मैनेजमेंट पर केन्द्रित कर विद्युत की समुचित उपयोगिता संरक्षण रणनीति प्राप्त करने का लक्ष्य किया। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्युत बोर्ड को वित्तीय परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तथा उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में, यह प्रस्तावित किया गया है कि उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कहाँ तक बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने अपने वितरण प्रचालन के लिए योजना बनाया, 2006-07 से 2010-11 की अवधि के पाँच वर्षों के दौरान इसका वित्तीय परिवर्तन तथा समस्याएँ, यदि हों तो, उनका विश्लेषण किया जाय।

3.1.2 बिहार में विद्युत-शक्ति क्षेत्र में सुधार

विद्युत-शक्ति क्षेत्र में सुधार के संबंध में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) का विघटन होना था। बिहार सरकार ने पाँच कम्पनी अर्थात् बिहार राज्य विद्युत कम्पनी (होल्डिंग कम्पनी), बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी, बिहार राज्य संचरण कम्पनी, दक्षिण बिहार विद्युत आपूर्ति कम्पनी तथा उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति

कम्पनी को संगठित एवं परिचालित करने का निर्णय लिया (अगस्त 2011)। इन कम्पनियों ने अपना व्यापार शुरू नहीं किया है (नवम्बर 2011)।

3.1.3 बिहार में विद्युत आपूर्ति के महत्वपूर्ण मानदण्ड

वर्ष 2006-07 के दौरान बोर्ड ने 4,541.68 मिलीयन यूनिट्स (एम0यू0) ऊर्जा बेचा जो कि वर्ष 2010-11 में बढ़कर 6139.14 एम0यू0 हो गया अर्थात् 35.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2011 तक बोर्ड के पास 1.42 लाख सर्किट किलोमीटर (सी0के0एम0) लाईन (33/11 के0वी0 तथा एल0टी0) का वितरण नेटवर्क, 473 सब-स्टेशन तथा विभिन्न श्रेणियों के 43,491 वितरण ट्रांसफॉर्मर थे। उपभोक्ताओं की संख्या ₹0.35 करोड़ थी। बोर्ड का आवर्त वर्ष 2010-11 में ₹ 2,409.69 करोड़ था जो कि क्रमशः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के 47.14 प्रतिशत तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 1.13 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2011 को बोर्ड में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या 11,651 थी।

3.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य पद्धति

फरवरी 2011 से जून 2011 के दौरान आयोजित वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक बोर्ड का कार्य समाहित है। निष्पादन लेखापरीक्षा मुख्यतः नेटवर्क योजना तथा कार्यान्वयन, केन्द्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन, प्रचालन क्षमता, विपत्रीकरण तथा राजस्व संग्रहण क्षमता, वित्तीय प्रबंधन, उपभोक्ता तुष्टीकरण ऊर्जा संरक्षण तथा अनुश्रवण से सम्बन्धित है। लेखापरीक्षा जाँच में बोर्ड के मुख्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा तथा 10 प्रमंडल सहित 16 में 5¹ विद्युत आपूर्ति अंचल साथ ही दो² ट्रांसफॉर्मर मरम्मती कार्यशाला सम्मिलित था। उपर्युक्त इकाइयों का चयन निर्धारित तथा विपत्रित वार्षिक राजस्व तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण पर हुए वार्षिक व्यय के आधार पर हुआ जो निर्धारित एवं विपत्रित कुल राजस्व का 65.54 प्रतिशत तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय का 44.88 प्रतिशत प्रदर्शित करता है।

लेखापरीक्षा मानदण्ड के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति अपनाये गये कार्य पद्धति में बोर्ड को लेखापरीक्षा उद्देश्य का विश्लेषण करना, मुख्यालय तथा चयनित इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा, लेखापरीक्षा इकाई के कार्मिकों से पारस्परिक सम्बन्ध, लेखापरीक्षा मानदण्ड के संदर्भ में आंकड़ों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्नों को उठाना, बोर्ड से लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर विचार-विमर्श तथा बोर्ड को उनके टिप्पणी हेतु प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना शामिल है।

3.2.1 विद्युत-शक्ति क्षेत्र का निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्व के टैरिफ, विपत्रीकरण एवं संग्रहण तथा ए0पी0डी0आर0पी0 योजनाओं को क्रियान्वयन का एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार में शामिल किया गया था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा का आयोजन बिहार में बोर्ड के कार्यों पर किया जाता है।

¹ ई0एस0सी0 पटना, पेसू (पूर्व), पेसू (पश्चिम), मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर।

² पटना तथा मुजफ्फरपुर में टी0आर0डब्लू0।

3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना के लक्ष्य तथा उद्देश्यों का विश्लेषण किया गया तथा योजनाओं एवं वितरण सुधारों को क्रियान्वित किया गया;
- नेटवर्क योजना तथा इसका कार्यान्वयन पर्याप्त एवं प्रभावी था;
- केन्द्रीय योजनाएँ जैसे कि पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0) तथा राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया गया;
- राज्य में उपभोक्ताओं के विद्युत-शक्ति माँग की पूर्ति हेतु प्रचालन क्षमता प्राप्त कर ली गयी थी;
- वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था तथा संघ/राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि समय पर मुक्त कर दी गयी थी;
- समग्र राजस्व आवश्यकता (ए0आर0आर0) तथा टैरिफ संशोधन याचिका को समय पर प्रस्तुत निर्दिष्ट स्तर पर प्रचालन तथा प्रति-अनुदान की लागत को पूर्ण करने हेतु टैरिफ की पर्याप्तता सुनिश्चित करने हेतु किया गया;
- उपभोक्ताओं से राजस्व का विपत्रीकरण एवं संग्रहण सफल था;
- उपभोक्ता संतुष्टि तथा शिकायतों के निवारण हेतु प्रणाली प्रभावी था;
- प्रभावी ऊर्जा संरक्षण उपाय आरम्भ किये गये; तथा
- प्रभावी अनुश्रवण प्रणाली की व्यवस्था थी तथा पूरे कार्य प्रणाली की समीक्षा में इसका उपयोग हो रहा था।

3.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए अपनाये गये लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न थे:

- राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना, बोर्ड के वितरण नेटवर्क के विषय में योजना तथा मानक एवं बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा तय योजना मानदण्ड;
- अर्थव्यवस्था, क्षमता तथा प्रभाविता के सिद्धांत के संदर्भ में संविदा प्रदान करने हेतु मानक प्रक्रिया;
- प्रचालन गतिविधियों के संदर्भ में विभिन्न अभिकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट मानकों;
- तकनीकी तथा गैर-तकनीकी हानि के प्रतिमानक;
- बिहार विद्युत विनियामक आयोग के मार्गदर्शन/निर्देश/दिशा;
- केन्द्रीय योजना प्रलेख (सेंट्रल स्कीम डॉक्यूमेंट्स) में शामिल नियम एवं शर्तें;
- क्षेत्रों में सर्वोत्तम निष्पादक/अखिल भारतीय औसत से तुलना; तथा
- विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान।

3.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

फरवरी 2011 में लेखापरीक्षा ने बोर्ड को निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या किया। तथापि, प्रवेश सम्मेलन का आयोजन नहीं हो सका जिसका कारण तत्कालीन प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार का स्थानान्तरण तथा उनके समय तालिका का समकालन नहीं होना था। अक्टूबर 2011 में लेखापरीक्षा निष्कर्ष बोर्ड तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित की गयी तथा 29 नवम्बर 2011 को आयोजित 'निकास सम्मेलन' में इसकी समीक्षा की गयी। बोर्ड के सदस्य (वित्त एवं राजस्व) ने निकास सम्मेलन में भाग लिया। नवम्बर 2011 में बोर्ड ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष का उत्तर दिया। निष्पादन लेखापरीक्षा का अंतिमीकरण करते समय बोर्ड द्वारा व्यक्त मत पर विचार किया गया है।


3.6 वितरण नेटवर्क योजना

राष्ट्रीय विद्युत नीति को निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्यों की उपलब्धि हेतु विकसित किया गया:

- विद्युत का अभिगमन वर्ष 2005 से अगले पाँच वर्षों में सभी घरों को उपलब्ध।
- कार्यकुशल ढंग से तथा उचित दर पर विनिर्दिष्ट मानकों की विश्वसनीय एवं गुणवत्ता विद्युत-शक्ति की आपूर्ति।

राज्य में अधिक-से-अधिक जनसंख्या को सम्मिलित करने के लिए विद्युत का फलोत्पादक वितरण हेतु आधारभूत संरचना सुविधाओं के सृजन में योजना एक अत्यावश्यक तत्व है। वर्तमान नेटवर्क के अनुरक्षण के अतिरिक्त माँग/सम्बद्ध लोड, प्रत्याशित नये कनेक्शन तथा ईलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ई0पी0एस0) पर आधारित माँग में वृद्धि को ध्यान में रखकर वितरण नेटवर्क में परिवर्धन की योजना बनायी जाती है। भौतिक पारामीटर को ध्यान में रखकर, बोर्ड राज्य सरकार/बिहार विद्युत विनियामक आयोग को पूँजी निवेश योजना प्रस्तुत करता है। परिव्यय के मुख्य अवयवों में ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) समर्थित प्रणाली के सुदृढीकरण के अतिरिक्त सामान्य विकास तथा प्रणाली में सुधार सम्मिलित है।

3.6.1 निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपभोक्ता तथा उनके सम्बद्ध लोड में वृद्धि को निम्न दण्ड आरेख में निरूपित किया गया है:



बोर्ड के संबंध में सम्बद्ध लोड की पूर्ति हेतु सम्बद्ध लोड तथा परिणमन क्षमता एवं वर्ष 2012 में अनुमानित वृद्धि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:

(एम0वी0ए0 में)

| वर्ष | वर्तमान परिणमन क्षमता | सम्बद्ध लोड ³ | आवश्यक क्षमता | परिणमन क्षमता में अंतर | परिणमन क्षमता एवं सम्बद्ध लोड का अनुपात |
|---------|-----------------------|--------------------------|---------------|------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(3/0.75) | (5)=(4-2) | (6) |
| 2006-07 | 2770.21 | 3002.50 | 4003.33 | 1233.12 | 0.92:1 |
| 2007-08 | 3113.69 | 3230.00 | 4306.66 | 1192.97 | 0.96:1 |
| 2008-09 | 3450.19 | 3556.25 | 4741.66 | 1291.47 | 0.97:1 |
| 2009-10 | 3939.06 | 4023.75 | 5365.00 | 1425.94 | 0.98:1 |
| 2010-11 | 4457.15 | 4596.14 | 6128.19 | 1671.04 | 0.97:1 |

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट पता चलता है कि वर्तमान परिणमन क्षमता तथा कुल सम्बद्ध लोड अनुपात का परास 1.33 के विरुद्ध 0.92 तथा 0.98 के बीच रहा। यह 31 मार्च 2011 तक की 1671.04 एम0वी0ए0 परिणमन क्षमता के विशाल अंतर को प्रदर्शित करता है। परिणमन क्षमता में अंतर के कारण सिस्टम का ओवरलोड हुआ फलस्वरूप बार-बार बिजली कटना एवं प्रतिकूल वोल्टेज नियमन हुआ जिससे उच्च प्रमात्रा की ऊर्जा हानि हुई। वितरण हेतु पर्याप्त क्षमता की कमी राष्ट्रीय विद्युत नीति में तय '2012 तक सभी को बिजली' के उद्देश्य को बाधित करेगा।

बोर्ड ने तथ्यों के स्वीकार किया तथा कहा कि बिजली कटने से बचने तथा निर्दिष्ट सीमा में सिस्टम वोल्टेज बनाये रखने के लिए एक ही समय में सभी लोड एक साथ सम्बद्ध (कनेक्ट) नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने कहा कि राज्य योजना के अंतर्गत स्कीमों के जरिये सिस्टम क्षमता संवर्धन क्रियान्वित किया जा रहा था।

जबकि अनुवर्ती कंडिकाओं के अंतर्गत सिस्टम सुधार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों की चर्चा अलग रूप से की गई है, समग्र रूप से राज्य की उपलब्धि की तुलना में सुनियोजित वितरण नेटवर्क का विवरण परिशिष्ट 12 तथा 13 में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि:

- वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान 291 सब-स्टेशनों की सुनियोजित वृद्धि के विरुद्ध, केवल 111 सब स्टेशनों की वृद्धि हुई, फलस्वरूप 180 सब-स्टेशन की कमी रही (61.86 प्रतिशत)। इस अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष हेतु आयोजित वृद्धि की कमी प्राप्ति नहीं हुई।
- 1 अप्रैल 2006 को सब-स्टेशनों की वर्तमान क्षमता 2544.45 एम0वी0ए0 था। वर्ष 2007-11 के दौरान आयोजित वृद्धि 3062.70 एम0वी0ए0 था, जिसके विरुद्ध वर्ष 2010-11 की अवधि तक 1912.70 एम0वी0ए0 की वृद्धि हुई। इस प्रकार 1150 एम0वी0ए0 (37.55 प्रतिशत) की कमी हुई।
- बोर्ड ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2011) तथा कहा कि लक्षित क्षमता प्राप्त नहीं किये जाने का मुख्य कारण उपयुक्त भूमि के चयन से इसे परिभाषित प्रक्रिया से हस्तान्तरित करने तक से पी0एस0एस0 हेतु भूमि

³ तालिका के स्तम्भ 3 में एम0वी0ए0 में उपस्थित सम्बद्ध लोड के आंकड़े ग्राफ में बदलकर एम0डब्लू0 किये गये हैं।

की उपलब्धता में विलम्ब होना था। उक्त कारण के अतिरिक्त, विशेषकर उत्तर बिहार में लम्बे समय तक जल-जमाव, मार्गाधिकार तथा स्थानीय आम बाधाएँ, ऐसे कारण थे जो कार्य की प्रगति को धीमा कर दिए थे।

- योजना का सूत्रपात करते समय आपूर्ति अंचल के प्रत्याशित लोड वृद्धि पर विचार नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2010-11 में आयोजित परिणमन क्षमता तथा प्रक्षिप्त सम्बद्ध लोड के बीच भारी अंतर आ गया जिसका विवरण **परिशिष्ट-13** में दिया गया है। फलस्वरूप, आठ अंचलो में, आयोजित क्षमता संवर्धन प्रक्षिप्त क्षमता से अधिक था तथा जिसका परास 3 तथा 87 प्रतिशत के बीच था, जबकि सात अंचलो में क्षमता संवर्धन प्रक्षिप्त क्षमता से कम था तथा जिसका परास 47 तथा 5 प्रतिशत के बीच था।

बोर्ड ने कहा कि जिन अंचलो में आयोजित क्षमता संवर्धन वास्तविक वृद्धि से कम था उसका कारण अप्रत्याशित व्यापारीकरण, औद्योगीकरण, आधारभूत संरचना विकास आदि से तथा जिन अंचलो में आयोजित संवर्धन आवश्यक लोड से अधिक था, उसे औद्योगीकरण, व्यापारीकरण, पर्यटन तथा उस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व की वृद्धि के क्षेत्र में सरकार के आगामी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों की अनिवार्य विद्युतीकरण के कारण उपर्युक्त बेमेल हुआ। इन कारणों से उत्तर युक्तिसंगत नहीं था कि योजना संबंधित क्षेत्रों में लोड की प्रत्याशित वृद्धि के अनुसार नहीं की गयी। तथापि, बोर्ड को अतिरिक्त आधारभूत संरचना के सृजन हेतु योजना का सूत्रपात करते समय पूर्व लोड वृद्धि प्रवृत्ति, वर्तमान लोड तथा भविष्य में प्रक्षिप्त लोड वृद्धि पर विचार करना चाहिए था।

अप्रभावी योजना

3.6.2 बोर्ड ने 400 एम0वी0ए0 क्षमता के 40 पावर सब-स्टेशन (पी0एस0एस0) को सम्मिलित करने का योजना बनाया जो वर्ष 2008-09 में निर्मित होने वाले थे। वितरण नेटवर्क में दो मुख्य भाग सम्मिलित हैं वे हैं - पी0एस0एस0 का निर्माण तथा इसके इनपुट (33 के0वी0) लाईन तथा आउटपुट फीडर (11 के0वी0) का निर्माण। पी0एस0एस0 के प्रयोग में विलम्ब दूर करने के लिए दोनों कार्यों को साथ-साथ पूर्ण किया जाना चाहिए। दोनों कार्यों को पूर्ण करने हेतु ₹ 100.60 करोड़ का प्रावकलन किया गया, जिसमें से सरकार ने राज्य योजना-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए0सी0ए0) के अंतर्गत ₹ 70 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (मार्च 2008) तथा मार्च 2009 तक एक वर्ष में परियोजना को पूर्ण होना था।

पी0एस0एस0 के जोड़ने वाली लाइन के निर्माण हेतु योजना में विलम्ब के कारण आठ माह तक ₹11.53 करोड़ का व्यय बेकार पड़ा रहा जिसके कारण ₹ एक करोड़ के ब्याज की क्षति हुई

हमने पाया कि पी0एस0एस0 निर्माण तथा इसको जोड़ने वाली लाईनों हेतु एन0आई0टी0 क्रमशः फरवरी 2008 तथा फरवरी 2009 में आमंत्रित किए गए थे। जोड़ने वाली लाईन तथा निर्माण कार्य का कार्यादेश क्रमशः जनवरी 2009 तथा फरवरी 2010 में जारी किया गया। जोड़ने वाली लाईन का निर्माण 12 माह के विलम्ब के बाद शुरू हुआ। फलस्वरूप, जून 2011 तक ₹ 11.53 करोड़ के व्यय से निर्मित 40 पी0एस0एस0 में 12 पी0एस0एस0 अपने जोड़ने वाली लाईनों के अभाव में चार्ज नहीं किए गए तथा वे आठ माह (नवम्बर 2010 से जून 2011) बेकार पड़े रहे जिसके कारण ₹ एक करोड़⁴ के ब्याज की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा कि इन पी0एस0एस0 हेतु 33 तथा 11 के0वी0 लाईन के निर्माण हेतु कोई धन राशि का प्रावधान नहीं था, अतः एन0आई0टी0 केवल 40 पी0एस0एस0 के

⁴ बोर्ड द्वारा भुगतये 13 प्रतिशत की दर से गणना की गई।

योजना में 12 माह विलम्ब के कारण जोड़ने वाली लाईन की निर्माण की लागत में वृद्धि आरंभिक प्राक्कलित लागत से ₹ 4.80 करोड़ अधिक हो गई

निर्माण हेतु आमंत्रित किया गया। उत्तर सही नहीं था क्योंकि जोड़ने वाली लाईन के बिना पी0एस0एस0 का निर्माण व्यर्थ था। बोर्ड को पी0एस0एस0 तथा इसकी जोड़ने वाली लाईन के निर्माण हेतु पी0एस0एस0 की उतनी ही संख्या की योजना बनाना चाहिए था जितना कि उपलब्ध निधि में यह उचित था।

हमने यह भी प्रेक्षित किया कि पी0एस0एस0 (33 के0वी0 लाईन 400 कि0मी0 तथा 11 के0वी0 लाईन 800 कि0मी0) को जोड़ने वाली लाईन के निर्माण हेतु ₹ 30.60 करोड़ का प्रारंभिक प्राक्कलित लागत ₹ 11.47 करोड़⁵ बढ़ गया। इस वृद्धि का कारण नए मर्दों (₹ 6.67 करोड़) का समावेश तथा सामग्रियों (₹ 4.80 करोड़) की कीमतों में वृद्धि था। इस प्रकार, योजना में 12 माह विलम्ब के कारण जोड़ने वाली लाईन के निर्माण में आरंभिक प्राक्कलित लागत से ₹ 4.80 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

बोर्ड द्वारा कार्यकारी अभिकरणों को पी0एस0एस0 के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराना था। तथापि, बोर्ड ने भूमि की उपलब्धता आश्वस्त किए बिना कार्य प्रदान कर दिया। फलस्वरूप, भूमि के 40 प्लॉट में से 19 प्लॉट अभिकरण को आठ से 17 माह के विलम्ब से हस्तांतरित किया गया। इसके अतिरिक्त, सात पी0एस0एस0 हेतु भूमि 28 माह के व्यपगत होने के पश्चात् भी प्राप्त नहीं किया जा सका। फलतः 16 पी0एस0एस0 का कार्य जून 2011 तक आरंभ नहीं किया जा सका।

बोर्ड ने उत्तर दिया कि अधिनिर्णय-पत्र (एल0ओ0ए0) के समय पी0एस0एस0 के निर्माण हेतु अत्यंत कम भूमि ही चिह्नित किया गया था। साथ ही, भूमि का अधिग्रहण एक बहु-प्रक्रियागत कार्य था जिसके कारण परियोजना में विलम्ब हुआ। कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब से बचने के लिए बोर्ड को एल0ओ0ए0 जारी करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए था।

आर0ई0 राज्य योजना-ए0सी0ए0 के अंतर्गत भागलपुर में संहौला पी0एस0एस0 का निर्माण एक अभिकरण को 18 माह की तय निर्माण अवधि में प्रदान किया गया (जनवरी 2009)। 16 माह बीत जाने के पश्चात् बोर्ड ने सूचित किया कि उक्त स्थान पर पी0एस0एस0 निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले ही एक पी0एस0एस0 मौजूद है। परिणामस्वरूप, बोर्ड ने उसी क्षमता का पी0एस0एस0 अन्य क्षेत्र में निर्माण करने का निर्णय लिया जो कि संग्रामपुर, मुंगेर था। यह योजना की कमी को प्रदर्शित करता है, तथापि बोर्ड ने सफाई दिया कि निविदा प्रलेख का खण्ड 2.1 के अनुसार निर्माण का स्थान परिवर्तित किया जा सकता है।

योजना में ऊपर उल्लेखित दोष के परिणामस्वरूप, नवम्बर 2011 तक 40 पी0एस0एस0 में केवल छः ही चार्ज किए गए थे।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

3.7 ग्रामीण विद्युतीकरण

राष्ट्रीय विद्युत नीति कहता है कि विद्युत शक्ति क्षेत्र के विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करना है, जिसके लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारें सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे।

⁵ ₹ 6.67 करोड़ के बे तथा संबद्ध कार्य का विस्तार तथा ₹ 4.80 करोड़ के सामग्रियों के लागत में वृद्धि।

तदनुसार, भारत सरकार ने 'राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण (आर0जी0जी0वी0वाई0)' योजना आरम्भ किया जिसका लक्ष्य सभी गैर-विद्युतीकृत गाँव का विद्युतीकरण करना तथा आगामी पाँच वर्षों में सभी घरों में विद्युत (गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क) पहुँचाना था। कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु, भारत सरकार को अनुदान स्वरूप व्यय का 90 प्रतिशत तथा शेष 10 प्रतिशत ऋण के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (नोडल एजेंसी) के माध्यम से प्राप्त होना था। अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण (आर0ई0) योजनाओं जैसे कि एक लाख गाँवों तथा एक करोड़ घरों का 'त्वरित विद्युतीकरण' तथा 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम', राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में मिला दिया गया। तत्कालीन 'कुटीर ज्योति कार्यक्रम' की विशेषताएँ उचित रूप से इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को अगस्त 2006 में अधिसूचित किया। इन बातों के साथ-साथ यह नीति वर्ष 2009 तक सभी घरों को बिजली उपलब्ध कराने तथा वर्ष 2012 तक प्रतिदिन प्रत्येक घर को एक यूनिट की न्यूनतम लाईफलाइन उपभोग प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

बिहार में आर0जी0जी0वी0वाई0 योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने 38 जिलों में 24 जिले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी0जी0सी0आई0एल0) को, छः जिले राष्ट्रीय हाईवोल्टेज-इलेक्ट्रीक पावर कॉर्पोरेशन (एन0एच0पी0सी0) को तथा बचे आठ जिले बोर्ड को गाँव की विद्युतीकरण हेतु आवंटित किया (जून 2006)।

31 मार्च 2006 तक राज्य में 39015 गाँवों में (2001 की जनगणना के अनुसार) 20610⁶ गाँव विद्युतीकृत किए गए (52.83 प्रतिशत)। निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान आर0जी0जी0वी0वाई0 योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण की उपलब्धि की तुलना में वर्ष-वार लक्ष्य नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

(संख्याओं में)

| वर्ष | वर्ष के आरंभ में विद्युतीकृत | वर्ष के दौरान विद्युतीकरण हेतु दिया गया लक्ष्य | वर्ष के दौरान विद्युतीकृत ⁷ | वर्ष के अंत में कुल विद्युतीकृत | वर्ष के दौरान लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि की प्रतिशतता |
|---------|------------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| 2006-07 | 1611 | 8000 | 8404 | 10015 | 105.05 |
| 2007-08 | 10015 | 5000 | 3347 | 13362 | 66.94 |
| 2008-09 | 13362 | 6549 | 3098 | 16460 | 47.30 |
| 2009-10 | 16460 | 3988 | 2584 | 19044 | 64.79 |
| 2010-11 | 19044 | 4603 | 3140 | 22184 | 68.22 |

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान 28140 लक्षित गाँवों में 20,573 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया। वर्ष 2006-07 के अतिरिक्त, ग्राम विद्युतीकरण का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 2007-11 के दौरान 7567 गाँवों के विद्युतीकरण में कमी आई। इसके अतिरिक्त, आठ जिलों में सितम्बर 2011 तक केवल 1920 गाँव (40.73 प्रतिशत) ही विद्युतीकृत किए जा सके।

बोर्ड ने कहा कि मार्गाधिकार समस्याएँ, बाढ़ तथा अन्य स्थानीय समस्याओं के कारण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

⁶ पुरानी परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत।

⁷ विद्युतीकरण की सारी उपलब्धि पी0जी0सी0आई0एल0, एन0एच0पी0सी0 तथा बोर्ड द्वारा विकसित आधारभूत संरचना से संबंधित है।

इसके अतिरिक्त हमने प्रेक्षित किया कि :

- बिहार में कुल 27,62,076 गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) ग्रामीण घरों में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध, केवल 18,18,161 बी0पी0एल0 ग्रामीण घर (65.83 प्रतिशत) ही विद्युतीकृत हुए (सितम्बर 2011)। इसके अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा किए कुल 6,02,564 बी0पी0एल0 ग्रामीण घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 1,47,432 बी0पी0एल0 ग्रामीण घरों को (24.47 प्रतिशत) विद्युतीकृत किया गया (सितम्बर 2011)।
बोर्ड ने कहा कि गाँवों में आधारभूत संरचना-पूर्ण नहीं होने के कारण उपलब्धि में कमी हुई। बी0पी0एल0 सेवा सम्पर्कता को गाँवों के आधारभूत संरचना कार्य से जोड़ा गया।
- भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर0ई0पी0) के अनुसार (अगस्त 2008 में अधिसूचित), फरवरी 2009 तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को छः माह के अन्तर्गत अधिसूचित करना था। तथापि, नवम्बर 2011 तक राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण (आर0ई0पी0) योजना को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया।
- आर0जी0जी0वी0वाई0 योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, विद्युत की चोरी करने हेतु फ्रेंचाईजी की स्थापना अनिवार्य थी। हमने पाया कि यद्यपि मार्च 2011 तक विद्युतीकरण कार्य 22184 गाँव में पूर्ण हो चुका था, तथापि फ्रेंचाईजी की स्थापना केवल 1625 गाँव में ही की गई (नवम्बर 2011)।

बोर्ड ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आर0जी0जी0वी0वाई0 योजना के अंतर्गत निधि प्राप्त किया। 31 मार्च 2011 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध निधि की तुलना में उपयोग की गई निधि की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | आदि शेष | वर्ष के दौरान प्राप्त निधि | कुल उपलब्ध निधि | प्रयोग की गई निधि | वर्ष के अंत में खर्च नहीं की गई निधि |
|------------|---------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 2008-09 | 0 | 287.68 | 287.68 | 0 | 287.68 |
| 2009-10 | 287.68 | 52.35 | 340.03 | 91.86 | 248.17 |
| 2010-11 | 248.17 | 234.20 | 482.37 | 162.67 | 319.70 |
| कुल | | 574.23 | | 254.53 | |

वर्ष 2008-11 की अवधि के दौरान, प्राप्त ₹ 574.23 करोड़ में से बोर्ड ने मार्च 2011 तक केवल ₹ 254.53 करोड़ (44.3 प्रतिशत) का ही उपयोग किया, जो योजना के कार्यान्वयन में बोर्ड की लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

बोर्ड ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, सरकार द्वारा बी0पी0एल0 सूची का अंतिमिकरण तथा अन्य अनियंत्रणीय कारकों के कारण योजना में विलम्ब हुआ।

आर0जी0जी0वी0वाई0 के कार्यान्वयन में पाई गई अन्य अनियमितताओं की समीक्षा नीचे की गई है :

3.7.1 परियोजना लागत के विरुद्ध ब्याज आय का समायोजन नहीं होना

कार्य की लागत के विरुद्ध आर0जी0जी0वी0वाई0 निधि पर अर्जित ब्याज का समायोजन नहीं होने के फलस्वरूप आर0ई0सी0 को ₹ चार करोड़ का उच्च प्राक्कलित व्यय समर्पित

जुलाई 2006 में संपन्न आर0ई0सी0, सरकार तथा बोर्ड के बीच त्रिपक्षीय समझौता के अनुसार, आर0जी0जी0वी0वाई0 के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु होने वाले व्यय की पूर्ति करने के लिए सरकार की ओर से बोर्ड को निधि सीधे मुक्त किया जाना था। योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधि को अलग खाता में रखा जाना था तथा केवल उद्दिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना था। इस प्रकार, आर0जी0जी0वी0वाई0 निधि से उपाजित ब्याज को सरकार के खाता में जमा होना चाहिए था अथवा योजना के अन्तर्गत संपन्न कार्य की लागत के विरुद्ध समायोजित होना चाहिए था।

प्राप्त कुल निधि में ₹ 253.19 करोड़ मियादी जमा में रखा गया जिस पर फरवरी 2011 तक ₹ चार करोड़ की ब्याज प्राप्ति हुई।

आर0जी0जी0वी0वाई0 निधि से प्राप्त ब्याज का समायोजन किए बिना राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत निष्पादित सभी आठ परियोजना हेतु बोर्ड ने आर0ई0सी0/सरकार को ₹ 1131.67 करोड़ का संशोधित लागत प्राक्कलन प्रस्तुत किया (फरवरी 2011)। फलस्वरूप, ₹ चार करोड़ का अधिक उच्च लागत प्राक्कलन हुआ। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 2011 तक, मियादी जमा में रखे निधि से प्राप्त कुल ब्याज ₹ 7.01 करोड़ था।

बोर्ड ने कहा कि समझौता के शर्तों के अनुसार, परियोजना की समाप्ति के बाद अंतिम बंदोबस्ती की जा सकती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधि से प्राप्त ब्याज का समायोजन संशोधित लागत प्राक्कलन में होना चाहिए था।

3.7.2 समय एवं लागत वृद्धि

डी0पी0आर0 की संस्वीकृति कार्य प्रदान करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण परियोजना लागत में ₹ 103.69 करोड़ की वृद्धि

बोर्ड ने अक्टूबर/दिसम्बर 2006 में डी0पी0आर0 में सम्मिलित प्राक्कलित लागत पर एन0आई0टी0 आमंत्रित किया। निविदा के अंतिमिकरण के पश्चात् बोर्ड ने इसे आर0ई0सी0 को सबसे कम निविदा के लागत (₹ 748.40 करोड़) के अनुमोदन हेतु (अक्टूबर 2007) भेजा। सभी कम बोली लगाने वालों के प्रस्ताव की वैधता जून 2008 तक थी। परन्तु एल0 1 निविदाकार के अनुमोदन से पहले, ऊर्जा मंत्रालय (एम0ओ0पी0) ने डी0पी0आर0 के संशोधन हेतु ग्राम विद्युतीकरण के लिए लागत शर्तों⁸ को संसूचित किया (फरवरी 2008)। अंततः, तय लागत शर्तों पर आधारित, संशोधित डी0पी0आर0 मार्च 2008 में आर0ई0सी0 द्वारा संस्वीकृत किया गया। आठ जिलों के लिए ₹ 748.40 करोड़ के कार्य का मूल्य सभी सबसे कम बोली लगाने वालों के प्रस्ताव की वैधता समाप्त होने के पश्चात् अगस्त 2008 में आर0ई0सी0 द्वारा अंततः अनुमोदित किया गया। फलतः नई बोली आमंत्रित की गई (सितम्बर 2008) तथा प्राप्त सबसे कम दर ₹ 852.09 करोड़ था, जो कि पूर्व सबसे कम बोली से ₹ 103.69 करोड़ अधिक था जैसा कि परिशिष्ट-14 में दर्शाया गया है। अंततः ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रदान पत्र जारी किया गया (मई 2009)।

⁸ ₹ 13 लाख गैर-विद्युतीकृत गाँव हेतु तथा ₹ चार लाख सामान्य क्षेत्र में पहले ही विद्युतीकृत गाँव के तीव्र विद्युतीकरण हेतु।

डी0पी0आर0 तथा कार्य प्रदान की स्वीकृति मिलने में असामान्य प्रक्रियागत विलम्ब होने के कारण, परियोजना लागत में कुल ₹ 103.69 करोड़ की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, सभी गाँव में विद्युतीकरण की आर0जी0जी0वी0वाई0 के उद्देश्य तथा 2009 तक सभी ग्रामीण घरों को विद्युत उपलब्ध कराना नहीं हो सका।

बोर्ड ने कहा कि विलम्ब का मुख्य कारण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागत शर्तों में संशोधन करना था। यह उत्तर बोर्ड द्वारा हुए विलम्ब के मुद्दे को नहीं बताता है जिसमें निविदा के अंतिमिकरण में 18 माह लगा तथा परियोजना की शुरुआत में विलम्ब हुआ।

3.7.3 आर0जी0जी0वी0वाई0 के अन्तर्गत ₹ 24.18 करोड़ के संस्थापित 16 के0वी0ए0 के जले हुए/बेकार ट्रांसफॉर्मर के कारण निष्फल व्यय।

आर0जी0जी0वी0वाई0 के अंतर्गत, 16 के0वी0ए0, 25 के0वी0ए0 तथा 40 के0वी0ए0 के वितरण ट्रांसफॉर्मर (डी0टी0आर0) का संस्थापन क्रियान्वित करने वाली अभिकरणों (पी0जी0सी0आई0एल0/एन0एच0पी0सी0) द्वारा किया जाना था। सृजित आधारभूत संरचना की सुरक्षा बोर्ड को सुनिश्चित करना था।

हमने पाया कि अप्रैल 2011 को क्रियान्वित करने वाली अभिकरणों द्वारा संस्थापित 34,727 डी0टी0आर0 16 के0वी0ए0, 25 के0वी0ए0 तथा 40 के0वी0ए0 क्षमता वाले थे, जिनमें 3,038 डी0टी0आर0 या तो संस्थापन अथवा पी0जी0सी0आई0एल0/एन0एच0पी0सी0 द्वारा बोर्ड को गाँव के हस्तांतरण के दिन से एक वर्ष के भीतर जल गए/खराब हो गए। बोर्ड ने जले/खराब डी0टी0आर0, जो कि गारंटी अवधि में थे, पी0जी0सी0आई0एल0 से बदलने का आग्रह किया। तथापि पी0जी0सी0आई0एल0 ने इन्हें बदलने/मरम्मत करने से इस तर्क के अधार पर इन्कार किया कि ओवर-लोडिंग अथवा अवहेलना के कारण डी0टी0आर0 जल/खराब हो गए जैसा कि उनके द्वारा जले डी0टी0आर0 की जाँच में पाया गया। बोर्ड ने अनाधिकृत कनेक्शन रोकने के लिए कोई निवारक उपाय नहीं किया जिसके कारण ओवर-लोडिंग तथा सुरक्षा की अवहेलना हुई।

इस प्रकार 3038 डी0टी0आर0 के संस्थापन में हुए ₹ 24.18 करोड़⁹ का कुल व्यय निष्फल सिद्ध हुआ, क्योंकि न तो पी0जी0सी0आई0एल0 ने उन्हें बदला और न ही बोर्ड ने इन खराब डी0टी0आर0 का मरम्मत कराया। इससे बी0पी0एल0 उपभोक्ता को विद्युत प्रदान करने का उद्देश्य असफल रहा।

बोर्ड ने कहा कि उपर्युक्त डी0टी0आर0 आंतरिक त्रुटि के कारण खराब हुए तथा इन डी0टी0आर0 में कई तो साधारण रूप से खराब हैं जिन्हें न्यूनतम लागत पर मरम्मत करा लिया जाएगा। बोर्ड का उत्तर इसकी खराबी के लिए पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा बताए गए कारणों के प्रतिकूल है। तथापि, आंतरिक खराबी के कारण खराब हुए डी0टी0आर0 को तुरन्त ठीक कर लेना चाहिए था क्योंकि वे वारंटी अवधि के अन्तर्गत थे।

डी0टी0आर0 के संस्थापन में ₹ 24.18 करोड़ का कुल व्यय निष्फल हो गया चूँकि न तो पी0जी0सी0आई0एल0 ने इन्हें बदला और न ही बोर्ड ने इन खराब डी0टी0आर0 की मरम्मती करवाया

| | | | | |
|--------------|-------------|--------------------------------------|---------|-----------|
| ⁹ | 16 के0वी0ए0 | = 1860 X ₹ 66000 प्रति ट्रांसफॉर्मर | = ₹ | 122760000 |
| | 25 के0वी0ए0 | = 1151 X ₹ 101000 प्रति ट्रांसफॉर्मर | = ₹ | 116251000 |
| | 40 के0वी0ए0 | = 27 X ₹ 103800 प्रति ट्रांसफॉर्मर | = ₹ | 2802600 |
| | | | कुल = ₹ | 241813600 |

3.7.4 संवेदक को अधि-भुगतान- ₹ 2.27 करोड़

बिहार के आठ जिले में आर0जी0जी0वी0वाई0 के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य टर्न की आधार पर प्रदान किया गया (मई 2009)। निविदा प्रलेख के उपवाक्य 10¹⁰ के अनुसार, ट्रांसफॉर्मर, तार तथा कंडक्टर, जिसके लिए मूल्य समायोजन की अनुमति है, के अतिरिक्त सभी उपकरणों एवं सामग्रियों का मूल्य स्थिर रहेगा। मूल्य परिवर्तन/समायोजन की गणना प्रत्येक माह प्रकाशित आई0ई0ई0एम0ए0¹¹ परिपत्र में दिए गए सूत्र एवं मूल्य के आधार पर की जानी थी। इसके अतिरिक्त, निविदा शर्तों के अनुसार, बोर्ड की देयता अनुसूचित दिवस अथवा सामग्रियों के प्रेषण का वास्तविक दिवस, जो भी निम्न हो, के प्रभावी मूल्य तक सीमित रहेगी।

मूल्य परिवर्तन उप-वाक्य का बिना विचार किए बोर्ड ने ₹ 2.27 करोड़ का अधि-भुगतान किया

हमने प्रेक्षित किया कि चार जिलों¹² में, मूल्य परिवर्तन उपवाक्य पर विचार किए बिना, विद्युत-शक्ति ट्रांसफॉर्मर तथा वितरण ट्रांसफॉर्मर का भुगतान फर्म-आधार पर किया गया। डिलीवरी की अवधि से संबंधित आई0ई0ई0एम0ए0 परिपत्रों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ट्रांसफॉर्मर का मूल्य काफी घट गया था तथा बोर्ड ने मूल्य परिवर्तन उपवाक्य पर बिना विचार किए मार्च 2011 तक ₹ 2.27 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान किया।

बोर्ड ने कहा कि मूल्य परिवर्तन की गणना प्रक्रिया के अधीन था, जो अंतिम भुगतान के समय किया जाएगा।

3.8 ए0पी0डी0आर0पी0 योजना का कार्यान्वयन

भारत सरकार ने राज्य सरकार के जरिए ऊर्जा क्षेत्र में सुधार का प्रावधान क्षमता हेतु त्वरित ऊर्जा शक्ति विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए0पी0डी0आर0पी0) आरंभ किया (जून 2003)। यह योजना शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में घने विद्युतीकृत क्षेत्र में सब-ट्रांसमिशन तथा वितरण के उन्नयन पर तथा राज्य के एस0ई0बी0 की आर्थिक सक्षमता में सुधार पर केंद्रित था।

योजना के अधीन, 12 अंचलों में ₹ 854.01 करोड़ मूल्य की 16 परियोजनाएँ ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत किए गए थे। पुर्नरीक्षित योजना के अनुसार, संस्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत भारत सरकार से अनुदान स्वरूप था तथा शेष 75 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में व्यवस्था की जानी थी। ₹ 854.01 करोड़ की परियोजना के कुल संस्वीकृत वास्तविक लागत, जिसे संशोधित कर (दिसम्बर 2006) ₹ 1066.58 करोड़ किया गया, के विरुद्ध भारत सरकार तथा पी0एफ0सी0 ने ₹ 651.73 करोड़ मुक्त किया। संशोधित लागत ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत इस शर्त के साथ की गई, कि योजना की बढ़ी राशि भारत सरकार द्वारा मुक्त नहीं की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा प्रारंभ हुए कुछ कार्यों के अतिरिक्त, योजना कम समय में ही बंद हो गया (मार्च 2009)।

मार्च 2011 तक राज्य सरकार ने बोर्ड को 188.40 करोड़ का ऋण प्रदान किया था तथा परियोजना पूर्ण होने के लिए ₹ 226.45 करोड़ की आवश्यकता थी (नवम्बर 2011)।

¹⁰ सामान्य शर्त एवं सामान्य तकनीकी आवश्यकताएँ संस्करण-1।

¹¹ इन्डियन इलेक्ट्रीकल मैनुफैक्चरर्स एसोशिएशन।

¹² खगड़िया, कटिहार, समस्तीपुर एवं शेखपुरा।

3.8.1 ए0पी0डी0आर0पी0 फेज – II योजना का कार्यान्वयन

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार (जून 2003), कार्य की गुणवत्तापूर्ण तथा शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगी बोली द्वारा चयनित पूर्व-योजना ठेकेदारों के जरिए एस0ई0बी0 को परियोजना का कार्यान्वयन आद्योपांत आधार पर करना था।

पटना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ए0पी0डी0आर0पी0 फेज-II के अन्तर्गत निष्पादित होने वाले ₹ 35.07 करोड़ की अनुमानित लागत से भूमिगत तार वितरण प्रणाली हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) तैयार की गई (सितम्बर 2004)।

बोर्ड ने 18 माह के नियत पूर्णता अवधि के साथ उल्लेखित कार्य हेतु पी0जी0सी0आई0एल0 के साथ एक अनुबन्ध किया (फरवरी 2006)। अनुबन्ध के अनुसार, परियोजना की कुल लागत 12 प्रतिशत परामर्श प्रभार सहित ₹ 39.28 करोड़ था। पी0जी0सी0आई0एल0 ने ₹ 67.94 करोड़ (उपर्युक्त वास्तविक लागत का 173 प्रतिशत) की अनुमानित लागत के साथ परियोजना हेतु संशोधित डी0पी0आर0 तैयार किया तथा परियोजना के निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रित किया (सितम्बर 2006)। अंततः पी0जी0सी0आई0एल0 ने बोर्ड से सम्पर्क किए बिना ठेकेदार को ₹ 89.17 करोड़ की लागत पर (संशोधित प्राक्कलन का 158 प्रतिशत तथा वास्तविक लागत का 227 प्रतिशत) कार्य प्रदान किया। ठेकेदार के साथ पी0जी0सी0आई0एल0 के अनुबन्ध के अनुसार कार्य को कार्य-आदेश जारी होने के दिन से 12 माह के भीतर पूर्ण होना था।

हमने प्रेक्षित किया कि :-

- भारत सरकार के परिपत्र (अप्रैल 2005) में उल्लेखित योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य प्रदान करने की प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना, बोर्ड ने पी0जी0सी0आई0एल0 को मनोनीत किया (फरवरी 2006), तथापि पी0जी0सी0आई0एल0 कार्य को उप ठेकेदार को प्रदान कर कार्य का निष्पादन किया गया। यदि बोर्ड ने उपर्युक्त योजना स्वयं निष्पादित किया होता तो यह ₹ 6.24 करोड़ की बचत कर सकता था जो पर्यवेक्षण प्रभार¹³ के रूप में पी0जी0सी0आई0एल0 को भुगतने था। मार्च 2011 तक सारा कार्य पी0जी0सी0आई0एल0 को सौंपने के कारण बोर्ड पहले ही ₹ 4.65 करोड़¹⁴ का व्यय कर चुका था। बोर्ड प्रतियोगी दर के लाभ को भी खो चुका था।

बोर्ड ने कहा कि कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कमी के कारण, परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करना संभव नहीं था। इसलिए बोर्ड ने ए0पी0डी0आर0पी0 योजना का निष्पादन पी0जी0सी0आई0एल0 के द्वारा करवाया।

- ए0पी0डी0आर0पी0 हेतु निधि अनुदान एवं ऋण के संयोजन के जरिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई तथा परियोजना लागत का अनुपात 1:1 था। हमने प्रेक्षित किया कि परियोजना के अनुमानित लागत में प्रवेश कर, पर्यवेक्षण प्रभार तथा स्ट्रीट लाईटिंग लागत से लागत मूल्य

¹³ ₹ 89.17 करोड़ का सात प्रतिशत।

¹⁴ (₹ 71.03 करोड़ x 07 / 107)।

शामिल नहीं था। फलस्वरूप, ₹ 46.88 करोड़¹⁵ के विरुद्ध ₹ 35.07 करोड़ का प्राक्कलन तैयार किया गया। भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 की संस्वीकृति दी गई (अप्रैल 2005) तथा ₹ 8.77 करोड़ (परियोजना लागत का 25 प्रतिशत) का मैचिंग अनुदान मुक्त किया गया। यदि सभी आवश्यक मदों को ध्यान में रखते हुए डी0पी0आर0 तैयार किया गया होता, तो बोर्ड ₹ 11.72 करोड़¹⁶ का अनुदान प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार, परियोजना लागत के कम प्राक्कलन के कारण बोर्ड को भारत सरकार से ₹ 2.95 करोड़ का कम मैचिंग अनुदान प्राप्त हुआ।

बोर्ड ने प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कहा कि उपर्युक्त परियोजना का निष्पादन बिहार में पहली बार हो रहा था तथा इसके लिए बोर्ड के पास अनुभव नहीं था। बोर्ड ने यह भी कहा कि विकसित प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखे बिना, पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा डी0पी0आर0 बोर्ड के परामर्श से तैयार किया गया।

- पी0जी0सी0आई0एल0 से अनुबन्ध करने के दौरान बोर्ड ने वित्तीय हित की सुरक्षा हेतु पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा संवेदकों से वसूल की गई परिसमाप्त हानि (लिविडेटेड डैमेजेस) को समायोजित करने हेतु एक उचित उप-वाक्य नहीं जोड़ा। चूँकि परियोजना में पहले ही 30 माह का विलम्ब हो चुका था अतः बोर्ड ने पी0जी0सी0आई0एल0 के साथ हुई अनुबन्ध में एल0डी0 शर्त के अभाव में ₹ 4.46 करोड़ (₹ 89.16 करोड़ का पाँच प्रतिशत) के दाम पर अपने संवेदको से पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा घटाए गए परिसमाप्त हानि को वसूलने का अवसर खो दिया।

बोर्ड ने मूल्यांकन किया कि एल0डी0 के समायोजन का मुद्दा पी0जी0सी0आई0एल0 से उठाया गया है, तथा उनका उत्तर प्रतिक्षित है। तथापि, अनुबन्ध के अनुसार, पी0जी0सी0आई0एल0 संवेदको से वसूला गया एल0डी0 लौटाने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

समुचित समन्वय एवं निम्न अनुश्रवण के कारण बोर्ड व्यय लागत को वास्तविक लागत तक सीमित नहीं कर सका जिसके फलस्वरूप ₹ 65.69 करोड़ की लागत वृद्धि हुई

- भारत सरकार ने ₹ 100.76 करोड़ का संशोधित परियोजना लागत संस्वीकृत किया (दिसम्बर 2006) तथा साथ ही निर्देश दिया कि ₹ 35.07 करोड़ की वास्तविक अनुमानित लागत के आधिक्य में व्यय की व्यवस्था स्वयं बोर्ड द्वारा की जाएगी। हमने प्रेक्षित किया कि बोर्ड पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा किए गए कार्य का समन्वयन एवं अनुश्रवण नहीं कर सका जिसके कारण ₹ 65.69 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

बोर्ड ने कहा कि लागत वृद्धि का मुख्य कारण लागत में वृद्धि तथा आर0एम0यू0 स्ट्रीट लाईट व्यवस्था जैसे नए मदों को शामिल करना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बोर्ड ने बोली लगाने की प्रक्रिया तथा संशोधित डी0पी0आर0 आदि की तैयारी में भाग नहीं लिया, फलस्वरूप, कार्य ₹ 89.17 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया जो कि संशोधित लागत का 158 प्रतिशत था।

¹⁵ (परियोजना लागत = ₹ 35.07 करोड़ + स्ट्रीट लाईटनिंग का लागत + प्रवेश कर पर्यवेक्षण शुल्क)।

¹⁶ ₹ 46.88 करोड़ का 25 प्रतिशत।

3.8.2 ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत चार अंचलों में प्रणाली मीटरिंग

बोर्ड ने आद्योपांत आधार पर चार विद्युत आपूर्ति अंचलों¹⁷ में पी0एस0एस0 तथा डी0टी0आर0 तथा इससे संबंधित उपकरण हेतु प्रणाली मीटर की आपूर्ति संस्थापन तथा चालू करने का कार्यादेश मे0 सेक्योर मीटर्स लिमिटेड (संवेदक) को दिया। इसमें फीडर तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर मीटर से प्राप्त आँकड़े का संग्रहण तथा ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत विस्तृत विश्लेषण से ऊर्जा लेखांकन प्रतिवेदन की तैयारी भी शामिल थे। प्रणाली मीटरिंग का उद्देश्य टी0 एण्ड डी0 क्षति/ए0टी0 एण्ड सी0 क्षति की कमी, संपूर्ण प्रणाली अध्ययन, प्रणाली योजना तथा प्रचालन योजना एवं प्रबंधन के लिए निवारक उपाय करना था।

12091 मीटर की माँग की गई मात्रा के विरुद्ध, संवेदक ने 11844 मीटरों की आपूर्ति किया तथा ₹ 63.63 करोड़ के व्यय से केवल 11593 मीटर ही चालू किए गए।

डी0टी0आर0 पर संस्थापित मीटर के आँकड़ा संग्रहण कार्य का आदेश बोर्ड द्वारा केवल दो वर्षों के लिए बोर्ड द्वारा चालू किए जाने वाले दिन तथा सौंपे जाने वाले दिन से दिया गया। तदनुसार संवेदक को 10200 मीटर से संबंधित आँकड़े जुटाना था। तथापि संवेदक ने केवल 9830 मीटर से आँकड़े एकत्रित किया। आँकड़ा संग्रहण तथा इसके विश्लेषण में बोर्ड द्वारा किया गया व्यय ₹ 5.58 करोड़ था।

हमने प्रेक्षित किया कि :-

- प्रणाली मीटरिंग का एक प्रमुख उद्देश्य ही टी0 एण्ड डी0 क्षति कम करना था। डी0टी0आर0 मीटर के संस्थापन के अतिरिक्त टी0 एण्ड डी0 क्षति में कोई सुधार नहीं हुआ। इन चार आपूर्ति अंचलों में जहाँ परियोजना का कार्यान्वयन हुआ, वर्ष 2008-09 से 2009-10 की अवधि के दौरान टी0 एण्ड डी0 क्षति का परास 41.91 प्रतिशत तथा 47.43 प्रतिशत के बीच रहा।
- आपूर्तिकर्ता बोर्ड को आँकड़े का विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुका था जो बोर्ड को लाभ प्रदान कर सकता था क्योंकि खराब डी0टी0आर0 का परास 23 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत के बीच रहा। जनवरी 2009 से फरवरी 2010 के दौरान अंडर-लोडेड डी0टी0आर0 का परास सात प्रतिशत तथा 32 प्रतिशत के बीच रहा तथा ओवर लोडेड डी0टी0आर0 का परास 23 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत के बीच रहा। इस प्रकार ₹ 69.21 करोड़ के व्यय करने के पश्चात भी बोर्ड वांछित लाभ को प्राप्त नहीं कर सका।
- सितम्बर 2010 में संवेदक द्वारा आँकड़ा संग्रहण तथा इसका विश्लेषण रोक दिया गया। तब से बोर्ड द्वारा आँकड़े संग्रहित नहीं किए गए जिससे ऊर्जा लेखांकन बुरी तरह प्रभावित हो गया।

बोर्ड ने लेखा परीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कहा कि डाटा संग्रहण तथा विश्लेषण हेतु पर्याप्त कर्मचारी एवं अधिकारियों की आवश्यकता थी जो आद्योपांत आधार पर डाटा संग्रहण का कार्य तथा इसका विश्लेषण का बहिःस्रोतन (आउटसोर्सिंग) के बाद भी नहीं किया गया।

¹⁷ पेसू (पूर्व), पेसू (पश्चिम), पटना तथा मुजफ्फरपुर ।

3.9 पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम

भारत सरकार ने राज्य सरकारों के जरिए ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की प्रभावन क्षमता के लिए त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (ए0पी0डी0आर0पी0) को अनुमोदित किया। यह योजना राज्य सरकार के जरिए ऊर्जा लेखांकन करने तथा मीटरिंग सहित सब-ट्रांसमिशन तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन हेतु क्रियान्वित किया गया, जिसके लिए वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई।

सुधार प्रक्रिया आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ग्यारहवीं योजना हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में जुलाई 2008 में पुर्नगठित ए0पी0डी0आर0पी0 (आर0ए0पी0डी0आर0पी0) आरम्भ किया। आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत परियोजनाएँ दो भागों में ली जानी थी - भाग-क तथा भाग-ख।

भाग-क स्काडा¹⁸ / वितरण प्रबंधन प्रणाली के संस्थापन के अतिरिक्त सभी शहरों में विश्वसनीय तथा प्रमाणनीय बेस-लाईन डाटा सिस्टम प्राप्त करने के लिए आई0टी0 समर्थित प्रणाली की स्थापना को समर्पित था। इसके लिए 100 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाना था। तीसरी पार्टी स्वतंत्र मुल्यांकन करने वाली अभिकर्ताओं के द्वारा सिस्टम के सत्यापन तथा पूर्ण होने पर ऋण अनुदान में परिवर्तनीय था। योजना का भाग-ख का संबंध नियमित सब-ट्रांसमिशन तथा वितरण का सुदृढीकरण तथा परियोजना के उन्नयन से है।

इसका इरादा शहरी क्षेत्र 30,000 से अधिक जनसंख्या के नगर तथा महानगर (विशिष्ट श्रेणी राज्यों के संबंध में 10,000) को सम्मिलित करना था। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट लोड के खास उच्च लोड घनत्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषीय फीडर से घरेलू तथा औद्योगिक फीडर पृथक करने का कार्य तथा उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (11 के0वी0) भी लिए जाने की आवश्यकता थी। साथ ही, शहर/क्षेत्रों के संबंध में जिसके लिए दसवीं योजना में परियोजनाएँ स्वीकृत हैं, आर0ए0पी0डी0आर0पी0 को ग्यारहवीं योजना हेतु विचार केवल पूर्व संस्वीकृत परियोजनाओं के पूर्णता अथवा अंशकालीन समाप्ति के बाद ही जाना था।

भाग-क के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने बिहार के 71 शहरों से संबंधित परियोजनाओं हेतु ₹ 253.68 करोड़ का परिव्यय संस्वीकृत किया (दिसम्बर 2009) जिसमें ऊर्जा-शक्ति वित्त निगम (पी0एफ0सी0) के जरिए संवितरण किए जानेवाले ₹ 194.58 करोड़ का ऋण शामिल था तथा शेष ₹ 59.10 करोड़ बोर्ड/बिहार सरकार द्वारा वित्तपोषण किया जाना था। पी0एफ0सी0 ने ₹ 58.37 करोड़ तथा बिहार सरकार ने ₹ 10 करोड़ क्रमशः मार्च 2010 तथा मार्च 2011 में मुक्त किया।

3.9.1 वित्तीय निष्पादन

भारत सरकार द्वारा (पी0एफ0सी0 के जरिए) बोर्ड के मद में मुक्त की गई निधि, उपयोगिता तथा अधिशेष निम्न वर्णित हैं:-

¹⁸ सुपरवाईसरी कन्ट्रोल एण्ड डाटा एक्विजिशन का सामान्यतः तात्पर्य औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली तथा कम्प्यूटर प्रणाली से है जो औद्योगिक, आधारभूत संरचना अथवा व्यवस्था आधारित प्रक्रियाओं का अनुश्रवण एवं नियंत्रण करता है।

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | अंत शेष | भारत सरकार द्वारा मुक्त की गई निधि | बिहार सरकार द्वारा मुक्त की गई निधि | उपयोग की गई निधि | शेष | उपलब्ध निधि से उपयोग की गई निधि की प्रतिशतता |
|---------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|--|
| 2009-10 | 0 | 58.37 | - | 0 | 58.37 | शून्य |
| 2010-11 | 58.37 | 0 | 10.00 | 12.31 | 56.06 | 18 |

हमने प्रेक्षित किया कि वर्ष 2009-11 की अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 68.37 करोड़ की राशि में ₹ 12.31 करोड़ ही उपयोग किया जा सका जिसका कारण योजना के गतिविधियों का समकालिक नहीं करना था।

आई0टी0 समर्थित प्रणाली की स्थापना

3.9.2 आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना का भाग-क आई0टी0 समर्थित प्रणाली की स्थापना तथा स्काडा/वितरण प्रबंधन प्रणाली (डी0एम0एस0) को समर्पित था।

भारत सरकार द्वारा निश्चित समयबद्धता के अनुसार, बोर्ड को परियोजना का भाग-क की संस्वीकृति की तिथि से तीन माह के अंदर अर्थात् मार्च 2010 तक आई0टी0 कार्यान्वयन अभिकर्ता (आई0टी0आई0ए0) को नियुक्त करना था तथापि, यह नौ माह के विलम्ब से जनवरी 2011 में ₹ 159.89 करोड़ में मे0 स्पैनको से निष्पादित किया गया।

परियोजना की नियत पूर्णता मई 2012 निर्धारित थी अर्थात् आशय पत्र (एल0ओ0आई0) के तिथि से 18 माह।

बोर्ड ने कहा कि आई0टी0आई0ए0 की नियुक्ति में विलम्ब का मुख्य कारण मूल्य की बोली शुरू करने में पी0एफ0सी0 द्वारा दिया गया रोक आदेश था।

स्काडा/डी0एम0एस0 परियोजना के कार्यान्वयन हेतु, दिसम्बर 2009 में पी0एफ0सी0 द्वारा बोर्ड को प्रस्ताव हेतु प्रस्ताव अनुरोध तथा डी0पी0आर0 सांचा उपलब्ध कराया गया। बोर्ड ने सात माह बीत जाने के पश्चात् स्काडा/डी0एम0एस0 परामर्शी के चयन हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध आमंत्रित किया (अगस्त 2010)। 15 माह बीत जाने के पश्चात् अप्रैल 2011 में परियोजना डी0पी0आर0 को पी0एफ0सी0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो नवम्बर 2011 में अनुमोदित हुआ।

बोर्ड ने कहा कि परियोजना में विलम्ब का कारण पी0एफ0सी0/ऊर्जा मंत्रालय नियंत्रण तथा आर0ए0पी0डी0आर0पी0 दिशा-निर्देशों द्वारा प्रक्रियात्मक विलम्ब के हो गया था।

ऋण के शासकीय संस्वीकृत अनुबन्ध के शर्तों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत ₹ 194.58 करोड़ की राशि का ऋण तब तक अनुदान में परिवर्तित नहीं होगा, जब तक बोर्ड दिसम्बर 2012 तक सभी चिह्नित शहरों में परियोजनाएँ पूर्ण कर लेता है। चूँकि परामर्शदाताओं के चयन में आरम्भ से ही विलम्ब था नियत अवधि में परियोजनाओं के पूर्ण होने से ऋण के अनुदान में परिवर्तन होने की सम्भावना काफी कम था।

3.9.3 सब-ट्रांसमिशन तथा वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण

योजना का भाग-ख नियमित सब-ट्रांसमिशन तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन से भी संबंधित है। योजना का मुख्य लक्ष्य संधारणीय आधार पर कुल तकनीकी तथा आर्थिक (ए0टी0 एण्ड सी0) क्षति को कम करना तथा वितरण को सुदृढ करना था। लागत की 25 प्रतिशत तक की निधि भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जानी थी तथा शेष 75 प्रतिशत की व्यवस्था बोर्ड द्वारा वित्तीय संस्थानों/ऊर्जा-शक्ति वित्त निगम से की जानी थी। निर्दिष्ट समय में परियोजना की पूर्णता, पाँच वर्षों तक इसका अनुरक्षण तथा ए0टी0 एण्ड सी0 क्षति हेतु तय 15 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ब्याज सहित ऋण का 50 प्रतिशत तक अनुदान में परिवर्तनीय था।

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत भाग-ख परियोजना के कार्यान्वयन हेतु, डी0पी0आर0 सांचा पी0एफ0सी0 द्वारा बोर्ड को अक्टूबर 2009 में उपलब्ध कराया गया। तथापि, 18 माह बीत जाने के पश्चात बोर्ड ने पी0एफ0सी0 को परियोजनाओं का डी0पी0आर0 अप्रैल 2011 में प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन नवम्बर 2011 में हुआ।

3.9.4 उपभोक्ता मीटरिकरण

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के कई उद्देश्यों में 100 प्रतिशत मीटर लगाने का एक उद्देश्य प्राप्त करना था। तदनुसार, वैसे उपभोक्ताओं जिनका मीटर नहीं लगाया गया था, के मीटर लगाने का कार्य तथा दोषपूर्ण मीटर को बदलने का कार्य आरंभ होना था। बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं के मीटर लगाने के कार्य का प्रगति अत्यंत धीमा था। ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत 16 अंचलों के बजाय मीटर लगाने का कार्य 12 अंचलों में प्रारंभ हुआ (2008-09)। 12 अंचलों में से आठ में कार्य पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा तथा शेष चार में बोर्ड द्वारा आरम्भ किया गया। राज्य में सभी उपभोक्ताओं (विभिन्न श्रेणियों के) के मीटर लगाने की उपलब्धि **परिशिष्ट-15** में प्रदर्शित है। बोर्ड द्वारा किसी वर्ष में भी उपभोक्ताओं के मीटर संस्थापन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लक्ष्य के विरुद्ध संस्थापित वास्तविक मीटर का परास केवल 26.59 प्रतिशत तथा 36.6 प्रतिशत के बीच रहा। मीटर लगाने की उपलब्धि में कमी का कारण मीटर की प्राप्ति में विलम्ब होना था।

बोर्ड ने उत्तर दिया कि दोषपूर्ण तथा इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक मीटरों का इलेक्ट्रॉनिक मीटरों में प्रतिस्थापन की प्रक्रिया चल रही थी तथा बिना इलेक्ट्रॉनिक मीटर के नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे। बोर्ड का उत्तर 10.24 लाख मीटर रहित उपभोक्ता तथा 1.28 लाख दोषपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ता से संबंधित शत प्रतिशत मीटर लगाने हेतु समय सीमा को संबोधित नहीं करता है।

3.10 प्रचालन क्षमता

बोर्ड का प्रचालन निष्पादन वितरण हेतु पर्याप्त ऊर्जा की उपलब्धता, वितरण नेटवर्क की पर्याप्तता तथा विश्वसनीयता, लाईन क्षति न्यूनतम करना, बिजली की चोरी का अभिज्ञान इत्यादि के आधार पर आँका जाता है। इन पहलुओं पर नीचे समीक्षा की गई है।

3.10.1 ऊर्जा-शक्ति का क्रय

राज्य में ऊर्जा की माँग बढ़ती रही थी। बोर्ड द्वारा राज्य के ऊर्जा-शक्ति की आवश्यकता पूर्व अधिकतम माँग तथा केंद्रीय क्षेत्र से ऊर्जा-शक्ति की उपलब्धता के आधार पर तय की जाती है। बोर्ड प्रक्षेप तैयार करता है तथा अनुमोदन के लिए इसे बी०ई०आर०सी० को प्रस्तुत करता है। ऊर्जा-शक्ति की आवश्यकता लगभग क्रय (उत्पादन नगण्य होने के कारण) के जरिए पूर्ति की गई।

17 इलेक्ट्रिक ऊर्जा-शक्ति सर्वेक्षण (ई०पी०एस०) के प्रतिवेदन पर आधारित राज्य के लिए निर्धारित ऊर्जा-शक्ति की माँग, बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी०ई०आर०सी०) द्वारा अनुमोदित ऊर्जा-शक्ति का क्रय तथा वर्ष 2006-07 से 2010-11 के अवधि के दौरान क्रय किया गया वास्तविक ऊर्जा-शक्ति का विवरण नीचे दर्शाया गया है :


(इकाई मिलियन में)

| वर्ष | 17 इ०पी०एस० में निर्धारित माँग | बोर्ड द्वारा निर्धारित तथा बी०ई०आर०सी० द्वारा अनुमोदित क्रय | क्रय किया गया वास्तविक ऊर्जा-शक्ति | ऊर्जा-शक्ति स्फीति | अनुमोदित क्रय के आधिक्य/कमी |
|---------|---|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2 - 4) | (6) = (3 - 4) |
| 2006-07 | 9629.00 | 7188.00 | 8178.52 | 1450.48 | (+) 990.52 |
| 2007-08 | 11134.00 | 8080.00 ¹⁹ | 8131.37 | 3002.63 | (+) 51.37 |
| 2008-09 | 12874.00 | 8790.00 | 8802.11 | 4071.89 | (+) 12.11 |
| 2009-10 | 14886.00 | 9247.00 ¹⁹ | 9941.28 | 4944.72 | (+) 694.28 |
| 2010-11 | 17213.00 | 10170.00 | 10977.81 | 6235.19 | (+) 807.81 |

यद्यपि, बोर्ड द्वारा प्रक्षिप्त विद्युत-शक्ति की मात्रा का अनुमोदन बी०ई०आर०सी० कर रहा था तथापि ई०पी०एस० में निर्धारित माँग के विरुद्ध बोर्ड द्वारा प्राप्त वास्तविक ऊर्जा-शक्ति हमेशा निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान न्यूनतम था। नियत ऊर्जा-शक्ति क्रय आवश्यकता ए०आर०आर०में प्रस्तुत किया गया परन्तु वर्ष 2006-11 के दौरान राज्य को ऊर्जा-स्फीति घाटा का सामना करना पड़ा जबकि क्रय किया गया वास्तविक ऊर्जा-शक्ति बी०ई०आर०सी० द्वारा अनुमोदित ऊर्जा-शक्ति से हमेशा अधिक रहा। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान बी०ई०आर०सी० द्वारा अनुमोदित ऊर्जा-शक्ति क्रय 2556.09 मि०यू० ऊर्जा-शक्ति अधिक क्रय हुआ।

उपर्युक्त क्रय हेतु, आवश्यकता आधार पर अनुसूचित विनिमय (यू०आई०) प्राप्ति के अतिरिक्त बोर्ड ने केंद्रीय सा०क्षे०उ०, आई०वी०वी० जैसे विभिन्न अभिकर्ताओं के साथ लंबी अवधि हेतु ऊर्जा-शक्ति क्रय अनुबन्ध में शामिल हुआ। इन श्रेणियों में क्रय किए गए कुल ऊर्जा-शक्ति (जैसा कि पूर्व तालिका में उल्लेखित है) का विवरण निम्नलिखित है:

¹⁹ वर्ष हेतु टैरिफ बी०ई०आर०सी० द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।



दीर्घकालीन ऊर्जा क्रय लागत के विरुद्ध यू0आई0 के अन्तर्गत ऊर्जा-शक्ति के आहरण से बोर्ड ने ₹ 254.26 करोड़ का अधिव्यय किया

वर्ष 2007-08 में बोर्ड ने अल्प अवधि ऊर्जा-शक्ति क्रय व्यवस्था के द्वारा केवल 20.71 एम0यू0 ऊर्जा-शक्ति का क्रय किया। दीर्घ अवधि ऊर्जा-शक्ति क्रय ऊर्जा-शक्ति का मुख्य स्रोत था जिसका परास 95.20 प्रतिशत (2009-10) तथा 98.74 प्रतिशत (2010-11) के बीच रहा। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऊर्जा-शक्ति का स्रोत-वार क्रय परिशिष्ट-16 में दिया गया है। बोर्ड ने सभी वर्षों में नियत आवंटन से अधिक ऊर्जा-शक्ति प्राप्त किया, जिसका परास वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान क्रय किए गए कुल ऊर्जा-शक्ति का 1.26 प्रतिशत तथा 4.80 प्रतिशत के बीच रहा। यू0आई0 शुल्क का औसत वार्षिक दर का परास ₹ 3.43/यूनिट तथा ₹ 5.17/ यूनिट के बीच रहा। इस प्रकार, वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान की दीर्घ अवधि ऊर्जा-शक्ति क्रय लागत के विरुद्ध बोर्ड को 1211.51 एम0यू0 की यू0आई0 के अन्तर्गत ऊर्जा-शक्ति की प्राप्ति पर ₹ 254.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

ऊर्जा-शक्ति संबंधी अन्य प्रेक्षण

3.10.2. ₹ 20.95 करोड़ के यू0आई0 शुल्क का विलम्ब से भुगतान पर दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान

यू0आई0 शुल्क का भुगतान समय पर नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 20.95 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज का भुगतान हुआ

बोर्ड ने ऊर्जा-शक्ति मुख्यतः केंद्रीय क्षेत्र ऊर्जा-शक्ति उत्पादन करने वाली इकाईयों के जरिए संघ सरकार द्वारा आवंटित कोटा से क्रय (यू0आई0) द्वारा अनुसूचित आवंटन से भी प्राप्त किया। यू0आई0 द्वारा प्राप्त ऊर्जा-शक्ति का विपत्र साप्ताहिक आधार पर पूर्वी क्षेत्र ऊर्जा-शक्ति समिति (ई0आर0पी0सी0) के द्वारा तैयार किया जाना था जिसमें शर्त यह थी कि विपत्र तैयार किए गए दिन से 10 दिनों के भीतर भुगतान होना चाहिए था। यदि इसमें चूक हो तो प्रत्येक दिन बकाए राशि पर 0.04 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक ब्याज देय होगा।

हमने प्रेक्षित किया कि वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान अनुसूचित आवंटन की अपेक्षा बोर्ड ने अधिक ऊर्जा शक्ति का आहरण किया। बोर्ड ने यू0आई0 शुल्क का ससमय भुगतान नहीं किया जिसके फलस्वरूप वर्ष 2008-09

से 2010-11 की अवधि के दौरान ₹ 20.95 करोड़²⁰ दण्डात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

बोर्ड ने कहा कि नवम्बर से मई के दौरान ऊर्जा-शक्ति की निम्न उपलब्धता तथा ऊर्जा-शक्ति की माँग की पूर्ति करने के कारण यू0आई0 से अधिक ऊर्जा-शक्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था।

3.10.3 ऊर्जा-शक्ति के क्रय पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय – ₹ 5.65 करोड़

वर्ष 2007-08 के दौरान (अक्टूबर से नवम्बर) बोर्ड ने क्रय हेतु निविदा बिना आमंत्रित किए त्योहार अवधि के दौरान आपात के आधार पर एन0टी0पी0सी0 विद्युत व्यापार निगम (एन0वी0वी0एन0) (एन0टी0पी0सी0 कायमकुलम, केरल से आपूर्ति) से अल्पकालीन व्यवस्था के तौर पर 789.61 पैसे/के0डब्लू0एच0 की दर से 20.71 मि0यू0 ऊर्जा का क्रय किया।

यू0आई0 सस्ती ऊर्जा-शक्ति निकासी की अपेक्षा एन0वी0वी0एन0 के ऊर्जा-शक्ति का क्रय ₹ 5.65 करोड़ के परिहार्य भुगतान में परिणत हुआ

हमने प्रेक्षित किया कि आवश्यक ऊर्जा-शक्ति की पूर्ति यु0आई0 के द्वारा भी की जा सकती थी जो कि एन0वी0वी0एन0 से क्रय की गई (789.61 पैसे/के0डब्लू0एच0 की दर से) ऊर्जा-शक्ति से सस्ती थी (वर्ष 2007-08 के दौरान 517 पैसे/यूनिट का औसत दर)। इसके कारण ₹ 5.65²¹ का परिहार्य भुगतान हुआ।

बोर्ड ने कहा कि अक्टूबर तथा नवम्बर माह के दौरान विद्युत-शक्ति की उपलब्धता अत्यंत निम्न थी। ग्रिड सिस्टम में कम विद्युत-शक्ति तथा अत्यंत निम्न आवृत्ति के कारण, यू0आई0 दर काफी अधिक थी। बोर्ड ने यह भी कहा कि यू0आई0 के अन्तर्गत विद्युत शक्ति प्राप्त करने पर निर्भरता आपातकाल आवश्यकता के दौरान विद्युत-शक्ति प्राप्त करने का ठोस निश्चयात्मकता नहीं था।

उत्तर सही नहीं था क्योंकि बोर्ड ने यू0आई0 द्वारा क्रय की तुलना में अल्प अवधि द्वारा विद्युत-शक्ति के क्रय के प्रभाव का विश्लेषण नहीं किया जिससे परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

3.11 सब-ट्रांसमिशन तथा वितरण क्षति

वितरण प्रणाली ऊर्जा-शक्ति उत्पादन स्रोत तथा विद्युत-शक्ति के अंकित उपभोक्ता के बीच एक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य कड़ी है। प्रणाली के कुशल क्रियान्वयन हेतु, यह सुनिश्चित होनी चाहिए कि सब-ट्रांसमिशन तथा विद्युत-शक्ति के वितरण में क्षति न्यूनतम हो। जहाँ ऊर्जा उत्पादन स्रोत से उपभोक्ता तक पहुँचाई जाती है, वहीं कुछ ऊर्जा नेटवर्क में नष्ट हो जाती है। 33 के0वी0 स्तर तक की क्षति सब-ट्रांसमिशन क्षति के रूप में जानी जाती है तथा 11 के0वी0 स्तर अथवा उससे नीचे की क्षति को वितरण क्षति के नाम से जाना जाता है। ये बोर्ड द्वारा प्राप्त ऊर्जा (जिसके लिए भुगतान किया गया) तथा उपभोक्ताओं को निर्गत किए गए ऊर्जा विपन्न के अंतर पर आधारित है। उपलब्ध ऊर्जा-शक्ति के हानि की प्रतिशतता वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता दर्शाती है। हानियाँ मुख्यतः दो कारणों से होती है – तकनीकी तथा वाणिज्यिक।

²⁰ 2008-09 = ₹ 9.66 करोड़, 2009-10 = ₹ 10.68 करोड़ एवं 2010-11 में = ₹ 0.61 करोड़।

²¹ 20710000 यूनिट्स X (₹ 7.8961-₹ 5.17 (अवधि के दौरान यू0आई0 शुल्क का औसत दर) = ₹ 56457531।

विद्युत-शक्ति संचरण तथा वितरण करने हेतु प्रयोग की गई अन्तर्भूत प्रकार के उपकरण तथा संवाहको (कंडक्टर) जिसके जरिए ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता है, में प्रतिरोध के कारण तकनीकी हानियाँ होती हैं। दूसरी ओर, ऊर्जा की चोरी, दोषपूर्ण मीटर तथा बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति के कारण वाणिज्यिक क्षति होती है।

निम्नलिखित तालिका 2010-11 तक गत पाँच वर्षों में बोर्ड की ऊर्जा हानि को प्रदर्शित करता है:

(मिलियन यूनिट्स में)

| क्र० सं० | विवरण | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1. | विक्रय हेतु उपलब्ध निवल ऊर्जा-शक्ति | 7914.92 | 7961.30 | 8584.69 | 9836.58 | 10882.86 |
| 2. | विक्रय की गई ऊर्जा-शक्ति | 4541.68 | 4851.56 | 5324.64 | 6067.22 | 6139.14 |
| 3. | ऊर्जा-शक्ति हानियाँ | 3373.24 | 3109.74 | 3260.05 | 3769.36 | 4743.72 |
| 4. | ऊर्जा-शक्ति हानियों की प्रतिशतता (प्रतिशत) {(3/1)x100} | 42.62 | 39.06 | 38.00 | 38.32 | 43.59 |
| 5. | बी०ई०आर०सी० द्वारा अनुमत्य हानियों की प्रतिशतता (प्रतिशत) | 41.40 | 38.00 | 38.00 | 35.00 | 32.00 |
| 6. | आधिक्य हानियाँ (मि०यू० में) | 96.46 | 84.44 | 0.00 | 326.56 | 1261.20 |
| 7. | प्रति यूनिट ²² औसत वसूली दर (₹ में) | 2.75 | 2.96 | 3.11 | 3.03 | 3.87 |
| 8. | अधिक्य हानियों का मूल्य (₹ करोड़ में) (6x7) | 26.53 | 24.99 | 0.00 | 98.95 | 488.08 |

यद्यपि, ऊर्जा हानि की प्रतिशतता वर्ष 2006-07 में 42.62 से घटकर वर्ष 2008-09 में 38.00 हो गई, तथापि, स्थिति तदनन्तर बिगड़ती गई तथा यह वर्ष 2010-11 में अचानक बढ़कर 43.59 प्रतिशत हो गया। सिवाय वर्ष 2008-09 के बोर्ड बी०ई०आर०सी० द्वारा निर्दिष्ट सीमा में टी० एण्ड डी० हानि को कम नहीं कर सका। वर्ष 2006-11 की अवधि के दौरान 1768.66 एम०यू० ऊर्जा की हानि हुई। इसके कारण बोर्ड को ₹ 638.55 करोड़ की क्षति उठानी पड़ी। बोर्ड को वित्तीय रूप से आत्म-संतोषित बनाने के लिए हानि में कमी करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था। हानि कम करने का महत्व इस तथ्य से आँका जा सकता है कि हानि में एक प्रतिशत कम होने से बोर्ड को वार्षिक ₹ 42.12²³ करोड़ की आय में वृद्धि हो सकती थी। ऐसी उच्च ऊर्जा हानि का मुख्य कारण पी०एस०एस०/डी०एस०एस० में संधारित्र(कैपेसिटर) बैंक का संस्थापन नहीं होना, निम्न विद्युत-शक्ति उपकरण, गैर मीटर वाले उपभोक्ताओं की उच्च प्रमात्रा, बिजली की चोरी इत्यादि था।

²² जैसे कि बोर्ड द्वारा अंगीकार किया गया था।

²³ 10882.82 एम०यू० का एक प्रतिशत = ₹ 108.83 एम०यू०
2010-11 में प्राप्ति का औसत दर = ₹ 3.87 प्रति यूनिट
हानि = 108.83 एम०यू० x ₹ 3.87 प्रति यूनिट = ₹ 42.12 करोड़।

3.11.1 वितरण ट्रांसफॉर्मरों का निष्पादन

डी0टी0आर0 की खराबी के लिए न तो बोर्ड ने और न ही बी0ई0आर0सी0 ने कोई मानक तय किया। खराब हुए वास्तविक डी0टी0आर0 की कुल संख्या तथा उनके मरम्मत पर हुए व्यय को नीचे प्रदर्शित किया गया है:

| क्रम सं०. | विवरण | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|-----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | वर्ष के अंत में विद्यमान डी0टी0आर0 (संख्या में) | 35821 | 37276 | 39228 | 41249 | 43491 |
| 2. | डी0टी0आर0 खराबी (संख्या में) | 3727 | 4050 | 4696 | 6022 | 7597 |
| 3. | खराबी की प्रतिशतता | 10.40 | 10.86 | 11.97 | 14.60 | 17.46 |
| 4. | खराब डी0टी0आर0 की मरम्मत पर व्यय (₹ करोड़ में) | 5.52 | 5.87 | 8.50 | 11.62 | 17.58 |

विगत वर्षों में खराब डी0टी0आर0 की संख्या लगातार बढ़ रही थी। डी0टी0आर0 की खराबी की प्रतिशतता भी वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रही थी जिसका परास कुल संस्थापित डी0टी0आर0 के 10.40 तथा 17.46 प्रतिशत के बीच था। डी0टी0आर0 की खराबी को सुरक्षात्मक रख-रखाव द्वारा तथा ओवर लोडिंग कम कर किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि डी0टी0आर0 की खराबी का विश्लेषण बोर्ड द्वारा नहीं किया गया। बोर्ड द्वारा डी0टी0आर0 की खराबी के लिए तैयार की गई तकनीकी प्रतिवेदन प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि लगभग सभी प्रतिवेदनों में डी0टी0आर0 की खराबी का मुख्य कारण आंतरिक दोष दर्ज था। तथपि, डी0टी0आर0 की खराबी के कारणों में ओवरलोडिंग, ट्रांसफॉर्मर तेल की कमी, लाईटनिंग अरेस्टर का संस्थापन नहीं होना, सम्मिलित थे।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कहा कि अन्य राज्य उपयोगिताओं की तुलना में डी0टी0आर0 खराबी की बढ़ती दर को रोकने के लिए क्षेत्र अधिकारियों को प्रचालन तथा अनुरक्षण नियमावली (मैनुअल) का अनुसरण करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं।

3.11.2 वितरण ट्रांसफॉर्मर के मरम्मत में विलम्ब

बोर्ड अपने ट्रांसफॉर्मर मरम्मत वर्कशॉप (टी0आर0डब्लू0) के जरिए क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर के मरम्मत का बीड़ा उठाती है, जहाँ आवश्यक सामग्री की आपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है तथा श्रम कार्य विभिन्न अभिकर्ताओं को आउटसोर्स किया गया है। बोर्ड द्वारा टी0आर0डब्लू0 के लिए मरम्मत किए गए ट्रांसफॉर्मर की वापसी हेतु समय-सीमा तय नहीं की गई थी। दो टी0आर0डब्लू0 (पटना तथा मुजफ्फरपुर) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान खराब हुए डी0टी0आर0 की मरम्मत पर लगे समय का परास एक माह से चार वर्ष से अधिक था। इसके अतिरिक्त, क्रयादेश के सामान्य नियम एवं शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति के दिनांक से दो वर्षों के लिए डी0टी0आर0 का निष्पादन अथवा संस्थापन के दिनांक से 18 माह की जो भी पहले हो की गारंटी देनी थी। बोर्ड ने गारंटी अवधि के दौरान खराब हुए डी0टी0आर0 को बदलने/मरम्मत कराने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं किया। तथापि, हमने निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पाया कि, गारंटी अवधि में 120 डी0टी0आर0 खराब हो गए। इनमें से 112 डी0टी0आर0 दो से 237 दिनों की अवधि के बाद बदल दिया गया/मरम्मत

किया गया, जबकि आठ डी0टी0आर0 पाँच माह से तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात भी मरम्मत/बदलने हेतु प्रतीक्षित थे। तथापि, डी0टी0आर0 की मरम्मती में हुए विलम्ब से बचने के लिए बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे बोर्ड के प्रचालन पर बुरा प्रभाव पड़ा।

बोर्ड ने उत्तर दिया कि ट्रांसफॉर्मर की मरम्मती के लिए आवश्यक मैचिंग सामग्री की उपलब्धता नहीं होने के कारण कभी-कभी विलम्ब हो जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलम्ब का परास चार वर्षों तक था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने यह भी कहा कि गारंटी अवधि के अन्तर्गत खराब हुए ट्रांसफॉर्मर सफलतापूर्वक संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा बदल दिए गए हैं, जो वस्तुतः सही नहीं थे क्योंकि ट्रांसफॉर्मर को बदलने में 237 दिनों तक की देरी हुई तथा कुछ ट्रांसफॉर्मरों को तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात भी बदले नहीं गए।

3.11.3 संधारित्र (कैपेसिटर) बैंक

संधारित्र बैंक विद्युत धारा प्रवाह तथा वोल्टेज विनियमन को विनियमित कर ऊर्जा-शक्ति कारक (पावर फैक्टर) को सुधारती है। सामान्य से कम वोल्टेज होने की स्थिति में, उपर्युक्त क्षमता के संधारित्र बैंक प्रदान कर स्थिति को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि यह वोल्टेज की रूपरेखा में सुधार लाता है, तथा काफी हद तक ऊर्जा के अपव्यय को कम करता है जिससे ऊर्जा हानि में बचत होती है। संधारित्र बैंक ऊर्जा की बचत अपने क्षमता की 0.04959 एम0यू0 प्रति एम0वी0ए0आर0 (मेगा वोल्ट एम्पीयर रियक्टिव पावर) तक करता है।

वितरण प्रणाली में कैपेसिटर बैंक के संस्थापन नहीं होने के फलस्वरूप बोर्ड को विचार किए गए 20.01 एम0यू0 ऊर्जा बचत की क्षति हुई जिसका मूल्य ₹ 6.09 करोड़ था

हमने प्रेक्षित किया कि बोर्ड द्वारा वार्षिक योजना नहीं की गई थी। यद्यपि वर्ष 2006-07 के दौरान बोर्ड ने प्रमण्डलीय शहरों के सभी डी0टी0आर0 के एल0टी0 की ओर 320 एम0वी0ए0आर0 की लक्षित वृद्धि सहित 2600 संधारित्र (200 के0वी0ए0आर0 के 600 तथा 100 के0वी0ए0आर0 के 2000) तथा पटना के आठ पी0एस0एस0 में 83.56 एम0वी0ए0आर0 की लक्षित वृद्धि सहित 22 संधारित्र संस्थापित करने का निर्णय लिया, परन्तु बोर्ड द्वारा लक्षित विद्युत-शक्ति की बचत पर विचार नहीं किया गया। संधारित्र बैंकों के लक्षित संस्थापन की नियत पूर्णता मार्च 2009 तक होनी थी। इसके अतिरिक्त हमने प्रेक्षित किया कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई (2007-08) ₹ चार करोड़ की निधि के अतिरिक्त निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बोर्ड ने वितरण प्रणाली में कोई संधारित्र बैंक संस्थापित नहीं किया। इस प्रकार, बोर्ड को 20.01 एम0यू0²⁴ की ऊर्जा बचत की क्षति हुई जिसका मूल्य ₹ 6.09 करोड़ था।

3.11.4 वाणिज्यिक हानियाँ


अधिकतर वाणिज्यिक हानियाँ उपभोक्ता के मीटरीकरण, विपत्रीकरण तथा ऊर्जा की चोरी से संबंधित है। आर0ए0पी0डी0पी0 योजना के कार्यान्वयन के अन्तर्गत मीटर लगाने तथा विपत्रीकरण जैसे पहलुओं को रखा गया है जबकि विपत्रीकरण की दक्षता तथा वाणिज्यिक हानियों से संबंधित अन्य प्रेक्षणों की समीक्षा नीचे की गई है:

3.11.5 एल0टी0 रहित प्रणाली का कार्यान्वयन

उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली तकनीकी हानियों, चोरी पर रोक, बेहतर वोल्टता रूपरेखा तथा बेहतर उपभोक्ता सेवा हेतु एक प्रभावी तरीका है। भारत सरकार ने

²⁴ 403.56 एम0वी0ए0आर0 X 0.04951 एम0यू0 प्रति एम0वी0ए0आर0 = 20.01 एम0यू0 X ₹ 3.03/यूनिट(वर्ष 2009-10 हेतु अंगीकृत दर)।

भी वितरण हानियों को कम करने के लिए विद्यमान एल0टी0 लाईन को एच0टी0 लाईन में बदलकर वितरण की एल0टी0 रहित प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया (फरवरी 2001)। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में एच0टी0 एल0टी0 का अनुपात नीचे आरेख में प्रदर्शित किया गया है:



यह देखा जा सकता है कि निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में एच0टी0 एल0टी0 लाईन का अनुपात लगभग स्थिर रहा। मार्च 2011 में 66364 सी0के0एम0 एच0टी0 लाईन के विरुद्ध एल0टी0 लाईन 142466 सी0के0एम0 था।

बोर्ड ने प्रेक्षण स्वीकार किया तथा कहा कि विभिन्न ग्रिड तथा जोड़ने वाली नेटवर्क निर्माण सहित उनके जोड़ने वाली लाईन विभिन्न स्कीमों के जरिये अनुपात में धीरे-धीरे सुधार होगा।

3.11.6 छापामारी दल का कार्य-निष्पादन

ऊर्जा की चोरी/क्षति के मामलों को कम करने तथा बोर्ड को वित्तीय क्षति से बचाने के लिए, विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 163 के अनुसार अनुज्ञापिधारी जाँच तथा संयंत्र की परीक्षण हेतु एक स्पेशल टास्क फोर्स (एस0टी0एफ0) दल जिसका प्रधान, मुख्यालय में विद्युत अधीक्षक अभियंता के रैंक का अधिकारी था, उन्हें ए0ई0 (सहायक अभियंता) तथा संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल के विभागीय अधिकारी की सहायता से छापामारी अथवा उपभोक्ताओं के गृह परिसर में जाँच करने का कार्य सौंपा गया। सम्बन्धित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता को जहाँ वृहत् स्तर पर चोरी की आशंका थी वैसे उपभोक्ताओं/क्षेत्रों को पहचान कर छापामारी हेतु कार्य योजना बनाना था। बोर्ड ने बिजली की चोरी तथा ऊर्जा का अनाधिकृत प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए एस0टी0एफ0 का गठन किया (नवम्बर 2007)। सतर्कता स्कंध तथा संबंधित प्रमण्डल के बीच समन्वय की कमी के कारण, छापामारी से वांछित परिणाम नहीं मिला। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किये गये छापामारी की स्थिति निम्नलिखित है:

| क्रम सं० | वर्ष | 31 मार्च तक उपभोक्ताओं की कुल संख्या | जाँच किये गए उपभोक्ताओं की संख्या | निर्धारित राशि (₹ लाख में) | वसूली गयी राशि (₹ लाख में) | वसूली नहीं गयी राशि (₹ लाख में) | जाँच किये गये उपभोक्ताओं की कुल संख्या |
|------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2007-08 | 1991190 | 1599 | 247.00 | 241.11 | 5.89 | 0.08 |
| 2 | 2008-09 | 2164604 | 2019 | 1848.51 | 869.11 | 979.40 | 0.09 |
| 3 | 2009-10 | 2386866 | 2893 | 828.76 | 593.10 | 235.66 | 0.12 |
| 4 | 2010-11 | 3508475 | 8565 | 1520.64 | 409.07 | 1111.57 | 0.24 |
| कुल | | | | 4444.91 | 2112.39 | 2332.52 | |

हमने पाया कि जाँच किये गये उपभोक्ताओं की संख्या की प्रतिशतता काफी कम थी तथा इसका परास 0.08 प्रतिशत तथा 0.24 प्रतिशत के बीच था। यह प्रदर्शित करता है कि ऊर्जा की चोरी कम करने हेतु सार्थक रूप से अधिक छापामारी करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त ₹ 44.45 करोड़ की निर्धारित राशि के विरुद्ध, बोर्ड ₹ 21.12 करोड़ ही संग्रह कर सका जो ₹ 23.33 करोड़ की कम वसूली प्रदर्शित करता है। इस प्रकार, वित्तीय क्षति को दूर करने हेतु चोरी रोकने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सका।

बोर्ड ने जवाब दिया कि छापामारी करने हेतु केवल चार दल थे तथा एक दल एक कार्यदिवस में केवल दो उपभोक्ताओं की छापामारी कर सकता था। बोर्ड ने ₹ 23.32 करोड़ की लम्बित वसूली के बारे में उल्लेख नहीं किया।

3.11.7 बोर्ड द्वारा नये सेवा कनेक्शन को प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण ₹ 10.78 करोड़ राजस्व की क्षति हुई

वितरण अनुज्ञापिधारी के निष्पादन के बिहार विद्युत-शक्ति मानकों, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 (1) तथा बीईईआरसीए द्वारा जारी बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 की धारा 4.80 निर्दिष्ट करता है कि बोर्ड आवेदन पत्र की प्राप्ति से 145 दिनों के भीतर उपभोक्ता को उच्च विभव (एचवी) सेवा कनेक्शन प्रदान करेगा जब भी ऐसी सेवा कनेक्शन में बोर्ड की स्थल सुविधाओं में विस्तार तथा सुधार शामिल हो। एचवी उपभोक्ताओं के टैरिफ में दो तत्व थे। एक निर्दिष्ट दर पर उपभोग की गयी ऊर्जा की मात्रा पर वसूली-योग्य ऊर्जा शुल्क था तथा दूसरा उपयोग की गयी ऊर्जा की मात्रा के निरपेक्ष तय दर (₹ 700/केवीए/माह) पर संविदा माँग पर वसूली-योग्य माँग शुल्क था।

नई कनेक्शन प्रदान करने में निर्दिष्ट अवधि के ऊपर 330 दिनों के विलम्ब के फलस्वरूप ₹ 10.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई

हमने प्रेक्षित (जनवरी 2011) किया कि मे0 गंगोत्री आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बिहटा, ने एच0टी0एस0एस0 श्रेणी के अन्तर्गत नए 33 के0वी0 हेतु अपने प्रस्तावित इकाई के लिए 14000 के0वी0ए0 (12000 के0वी0ए0 भट्टी हेतु तथा 2000 के0वी0ए0 रोलिंग मिल हेतु) की संविदा की माँग किया। आवेदन पत्र 19 सितम्बर 2007 को पंजीकृत हुआ तथा विद्युत की आपूर्ति 10 जनवरी 2009 को प्रभावी हुई। इस प्रकार आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिन से कुल 475 दिन लग गये जो कि उपरोक्त निर्दिष्ट 145 दिन के विरुद्ध था। इस प्रकार, निर्दिष्ट अवधि से 330 दिनों का विलम्ब हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 10.78²⁵ करोड़ राजस्व की हानि हुई क्योंकि माँग प्रभार प्रभारित नहीं किया जा सका।

बोर्ड ने कहा कि विलम्ब का कारण नये सेवा कनेक्शन संबंधित उपभोक्ता द्वारा सभी औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं किया जाना था। बोर्ड ने यह भी कहा कि उपभोक्ता ने रोलिंग मिल के लोड के साथ भट्टी के लोड को सम्मिलित करने हेतु नया आवेदन प्रस्तुत किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपभोक्ता ने सर्विस लाइन के निर्माण हेतु बिना विलम्ब किए आवश्यक राशि जमा कर चुका था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने साध्यता प्रतिवेदन की तैयारी, प्राक्कलन, तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा 33 के0वी0 सर्विस लाइन के निर्माण में बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्दिष्ट समय से दस माह से अधिक का विलम्ब किया जिसके कारण नई सर्विस कनेक्शन देने की प्रक्रिया में विलम्ब तथा राजस्व की हानि हुई।

3.12 विपत्रीकरण क्षमता

बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड को अधिसूचित विपत्रीकरण चक्र के अन्त में प्रत्येक उपभोक्ताओं के ऊर्जा खपत का रीडिंग करने की आवश्यकता थी। मीटर रीडिंग के बाद, बोर्ड ने ऊर्जा खपत हेतु उपभोक्ताओं को विपत्र निर्गत किया। ऊर्जा के विक्रय के दो भाग होते हैं:- मीटरकृत तथा निर्धारित यूनिट। निर्धारित यूनिट का संबंध मीटर रहित उपभोक्ताओं को विपत्रित यूनिट्स से है तथा उन मामलों से है जहाँ मीटर रीडिंग दोषपूर्ण मीटरों, बंद दरवाजों इत्यादि कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाया। बी0ई0आर0सी0 ने मीटरकृत विक्रय के निर्धारित विक्रय की प्रतिशतता को निर्दिष्ट नहीं किया। सभी उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण प्रमण्डल स्तर पर किया जा रहा था। घरेलू उपभोक्ताओ (ग्रामीण तथा बी0पी0एल0), 5 के0डब्लू0 (ग्रामीण) तक गैर घरेलू उपभोक्ताओं तथा कृषि उपभोक्ताओं (शहरी एवं ग्रामीण) को पाक्षिक आधार पर विपत्रीकरण किया जा रहा था जबकि अन्य उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण मासिक आधार पर किया जा रहा था।

ऊर्जा के विपत्रीकरण की दक्षता बोर्ड द्वारा अपने उपभोक्ताओं को उच्चतम ऊर्जा का वितरण/विक्रय तथा समय पर राजस्व की वसूली में निहित होता है।

²⁵ 14000 के0वी0ए0 X ₹ 700 प्रति माह X 11 माह (330 दिन) = ₹ 10.78 करोड़।

(आंकड़े एम0यू0 में)

| क्रम सं०. | विवरण | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|-----------|---|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1. | विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा | 7914.92 | 7961.30 | 8584.69 | 9836.58 | 10882.86 |
| 2. | निःशुल्क आपूर्ति | - | 4.76 | 6.11 | 5.86 | 5.36 |
| 3. | विपत्रित ऊर्जा | 4541.68 | 4846.80 | 5318.53 | 6061.36 | 6133.78 |
| 4. | विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा की प्रतिशतता के रूप में विपत्रित ऊर्जा | 57.38 | 60.88 | 61.95 | 61.62 | 56.36 |
| 5. | विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा की प्रतिशतता के रूप में निःशुल्क आपूर्ति | - | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 6. | विक्रय की गई कुल ऊर्जा (2+3) अथवा (7+8) | 4541.68 | 4851.56 | 5324.64 | 6067.22 | 6139.14 |
| 7. | निर्धारित विक्रय | 1344.18 | 1365.83 | 1548.21 | 1478.44 | 1456.74 |
| 8. | मीटरीकृत विक्रय | 3197.50 | 3485.73 | 3776.43 | 4588.78 | 4682.40 |
| 9. | मीटरीकृत विक्रय की प्रतिशतता के रूप में निर्धारित विक्रय | 42.04 | 39.18 | 40.99 | 32.22 | 31.11 |

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विपत्रित ऊर्जा का परास विक्रय हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा का 56.36 तथा 61.95 प्रतिशत के बीच था जबकि निःशुल्क आपूर्ति नगण्य था। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उच्च टी0 एण्ड डी0 हानि (37.98 से 43.59 प्रतिशत) का मुख्य कारण विक्रय हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा का विपत्रीकरण काफी कम था। इसके अतिरिक्त, निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निर्धारित विक्रय, कुल विक्रय का 42.04 प्रतिशत तथा 31.11 प्रतिशत था।

बोर्ड ने कहा कि 100 प्रतिशत मीटर रीडिंग तथा इसका विपत्रीकरण सुनिश्चित करने हेतु निजी अभिकरणों को परिनियोजित किया गया था। विपत्रीकरण तथा राजस्व संग्रहण दक्षता को सुधारने हेतु बड़े पैमाने पर मानव शक्ति का भर्ती किया गया।

3.12.1 राजस्व संग्रहण दक्षता

चूँकि ऊर्जा विक्रय राजस्व बोर्ड के आय का मुख्य स्रोत है, अतः इसका शीघ्र संग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। बोर्ड द्वारा अनुसरण किये गये संग्रहण तंत्र की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- प्रभारित ऊर्जा का भुगतान उपभोक्ता नकद, चेक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा कर सकता है।
- एच0टी0 सेवा हेतु ऊर्जा प्रभार का विपत्र प्रत्येक प्रमण्डल कार्यालय अवस्थित संग्रहण काउण्टर पर जमा होता है।
- एल0टी0 सेवा के संबंध में, कुछ क्षेत्रों के अतिरिक्त जहाँ संग्रहण कार्य निजी संग्रहण अभिकरणों को सौंपे गये हैं, विद्युत विपत्र का संग्रहण सामान्यतः राजस्व रोकड़पाल (आर0सी0) द्वारा किया जाता है।
- एच0टी0 उपभोक्ताओं को देय तिथि के बाद 10 दिनों की माफी-अवधि के अंदर (अर्थात् विपत्र निर्गत होने की तिथि के दिन से 15 दिन) वर्तमान

प्रभार का भुगतान करना है, चूक होने की अवस्था में उपभोक्ताओं द्वारा विलम्ब की अवधि हेतु विपत्र की राशि का 1.5 प्रतिशत प्रति माह का अतिरिक्त प्रभार देय है।

नीचे की तालिका वर्ष 2010-11 को समाप्त गत पाँच वर्षों के दौरान वर्ष के आरंभ में शेष बकाया, वर्ष के दौरान निर्धारित राजस्व, वर्ष के अंत में संग्रहित राजस्व तथा शेष बकाया प्रदर्शित करती है।

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं०. | विवरण | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|-----------|--|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
| 1 | वर्ष के आरंभ में शेष बकाया | 5929.25 | 5749.43 | 5871.08 | 5531.59 | 5608.80 |
| 2 | वर्ष के दौरान निर्धारित/विपत्रित किया गया राजस्व | 1329.23 | 1525.33 | 1753.19 | 2025.63 ²⁶ | 2510.04 |
| 3 | वसूली हेतु देय कुल राशि (1+2) | 7258.48 | 7274.76 | 7624.27 | 7557.22 | 8118.84 |
| 4 | वर्ष के दौरान वसूल की गयी राशि | 1375.83 | 1394.04 | 2082.90 | 1933.95 | 2418.64 |
| 5 | वर्ष के दौरान अपलिखित राशि | 133.22 | 9.64 | 9.78 | 14.47 | NIL |
| 6 | वर्ष के अंत में शेष बकाया | 5749.43 | 5871.08 | 5531.59 | 5608.80 | 5700.20 |
| 7 | कुल देय से वसूल की गई राशि की प्रतिशतता | 18.95 | 19.16 | 27.32 | 25.59 | 29.79 |
| 8 | माह निर्धारण के संदर्भ में बकाया (क्रम सं० 6/ क्रम सं० 2/12 माह) | 51.90 | 46.19 | 37.86 | 33.23 | 27.25 |

हमने प्रेक्षित किया कि 31 मार्च 2007 को शेष बकाया ₹ 5749.43 करोड़ 31 मार्च 2011 में घटकर ₹ 5700.20 करोड़ हो गया। इस कमी का कारण निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ₹ 167.10 करोड़ अपलिखित करना था। इससे प्रदर्शित होता है कि देय की वसूली असंतोषजनक थी।

बोर्ड ने कहा कि विपत्र किए गए राजस्व का निर्धारण, वसूल किए गए रकम तथा कुल देय से वसूल किए गए राशि की प्रतिशतता वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में बढ़ गयी। साथ ही, राजस्व वसूली को सुधारने के लिए प्रभावी कदम भी उठाये गये जैसे-प्रत्यायन, सूचना जारी करना, दोषी उपभोक्ताओं का लाईन काटना साथ ही प्रमाणपत्र वाद दायर करना इत्यादि।

विभिन्न रूपों में अदक्ष राजस्व विपत्रीकरण तथा संग्रहण के उदाहरण नीचे निरूपित किये गये हैं:

3.12.2 शंट संधारित्र (कैपेसिटर) प्रभार का प्रभार नहीं लगाना

बी0ई0आर0सी0 द्वारा जारी टैरिफ आदेश 2006-07 के अनुसार, पाँच एच0पी0 (टैरिफ आदेश 2008-09 के अनुसार तीन एच0पी0) से अधिक संविदा माँग वाले प्रत्येक एल0टी0आई0एस0 (लो टेंशन इण्डस्ट्रीयल सर्विस) उपभोक्ता को उचित क्षमता का शंट संधारित्र संस्थापित कर लेना चाहिए था, चूक होने पर शंट संधारित्र

²⁶ पूर्वावधि समायोजन के रूप में ₹ 77.45 करोड़ सम्मिलित।

प्रभार विपन्न की राशि के पाँच प्रतिशत की दर से प्रभारित होगा। ई0एस0डी0 मुजफ्फरपुर (शहरी) में कुल 2247 एच0पी0 के कनेक्टेड लोड वाले 165 एल0टी0आई0एस0 उपभोक्ता उचित रेटिंग के शंट संधारित्र का संस्थापन किये बिना आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे तथा इन उपभोक्ताओं पर नवम्बर 2006 से मार्च 2011 की अवधि में शंट संधारित्र हेतु प्रभार प्रभारित नहीं किया गया। इसके कारण ₹ 0.26 करोड़ की राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा कि प्रमण्डलो ने मई 2011 से शंट संधारित्र प्रभार प्रभारित करना प्रारंभ कर दिया था। तथापि, बोर्ड पूर्व की अवधि से मई 2011 तक ₹ 0.26 करोड़ की राजस्व हानि की वसूली नहीं कर पाया।

3.12.3 टैरिफ का दोषपूर्ण अनुप्रयोग

टैरिफ के दोषपूर्ण अनुप्रयोग से बोर्ड को ₹ 4.84 करोड़ के राजस्व की हानि हुई

टैरिफ आदेश (नवम्बर 2006) की एच0टी0 टैरिफ धारा 6 के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता संविदा माँग के 150 प्रतिशत से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करता है, इसकी संविदा-माँग ट्रांसफॉर्मर क्षमता के 2/3 भाग बढ़ा देना चाहिए तथा तदनुसार विपन्न निर्गत करना चाहिए। चार²⁷ विद्युत आपूर्ति अंचलों (ई0एस0सी0) के अप्रैल 2006 से मार्च 2011 की अवधि के अभिलेखों के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि पाँच उपभोक्ता अपने संविदा माँग के 150 प्रतिशत से अधिक क्षमता के ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग कर रहे थे। परन्तु बोर्ड ने न तो उनका संविदा माँग बढ़ाया न ही लागू टैरिफ के अनुसार विपन्न जारी किया। इसके फलस्वरूप ₹ 4.84 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा कि दो उपभोक्ताओं को प्रभारित किया गया, एक उपभोक्ता का मामला न्यायाधीन हैं तथा एक रेलवे उपभोक्ता (प्रमण्डलीय लेखा अधिकारी) को स्टैण्ड बाई ट्रांसफॉर्मर रखने हेतु अनुमति दी गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एच0टी0 उपभोक्ता टैरिफ आदेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार केवल रेलवे ट्रेक्शन सेवा उपभोक्ताओं को स्टैण्ड बाई ट्रांसफॉर्मर रखने की अनुमति प्रदान की गई थी। एक उपभोक्ता की स्थिति नहीं प्रस्तुत की गयी थी।

3.12.4 विपत्रीकरण नहीं करना

टैरिफ आदेश 2008-09 के अनुसार, प्रेरण भट्टी वाले उपभोक्ताएँ एच0टी0एस0एस0 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत होंगे। इसके अतिरिक्त, एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं को इसी श्रेणी के अन्तर्गत एक अलग रोलिंग मिल रखने की अनुमति दी गयी थी। ई0एस0सी0 पटना में, एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता प्रेरण भट्टी तथा रोलिंग मिल के अतिरिक्त 277 के0वी0ए0 लोड का ऑक्सीजन प्लांट का प्रयोग करता पाया गया (जनवरी 2009) जिसके लिए एच0टी0एस0-I श्रेणी के अन्तर्गत एक अलग कनेक्शन लिया जाना चाहिए था। परन्तु इस लोड के लिए कोई अलग से अनुबन्ध (एच0टी0एस0-I के अन्तर्गत) नहीं किया गया था। इसके कारण फरवरी 2009 से अप्रैल 2011 की अवधि में ₹ 80.34 लाख के न्यूनतम मासिक प्रभार (ऊर्जा प्रभार तथा माँग प्रभार) की हानि हुई। सम्बद्ध लोड 30 अप्रैल 2011 को विच्छेदित कर दिया गया।

बोर्ड ने कहा कि उपभोक्ता को अस्थायी रूप से प्रेरण भट्टी तथा रोलिंग मिल के लोड के साथ ऑक्सीजन प्लांट का लोड शामिल करने की अनुमति दी गयी।

²⁷ ई0एस0सी0 मुजफ्फरपुर, ई0एस0सी0 समस्तीपुर, ई0एस0सी0 पटना तथा पेसू (पश्चिम)।

मामला बी0ई0आर0सी0 के पास लम्बित है तथा अंतिम निर्णय के बाद मामले को अंतिमिकृत किया जाएगा।

3.12.5 अल्प निर्धारण तथा कम संविदा माँग के अल्प विपत्रीकरण के फलस्वरूप ₹ 2.45 करोड़ के राजस्व की हानि।

टैरिफ आदेश, 2008-09 की धारा 7.4 के अनुसार, एच0टी0एस0एस0 श्रेणी के अन्तर्गत नये कनेक्शन हेतु निर्माता के तकनीकी विनिर्देशन के अनुसार, संविदा माँग प्रेरण भट्टी तथा उपकरण (सहायक लोड) की कुल क्षमता पर आधारित होगा। उसी परिसर में रोलिंग/रि-रोलिंग मिल वाले उपभोक्ताओं को प्रेरण भट्टी हेतु आवश्यक संविदा माँग के अलावा रोलिंग/रि-रोलिंग मिल हेतु अतिरिक्त संविदा माँग लेने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, विपत्र माँग माह के दौरान दर्ज उच्चतम माँग अथवा संविदा माँग होगा, दोनों में से जो भी उच्चतर हो, होगा।

संविदा माँग के अल्प निर्धारण एवं माँग प्रभारों के अल्प विपत्रीकरण के फलस्वरूप ₹ 2.45 करोड़ के राजस्व की हानि

हमने प्रेक्षित किया (जनवरी 2011) कि एक नये एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता नामतः मे0 गंगोत्री आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के परिसर में जनवरी 2009 से प्रभावी विद्युत संस्थापन के लोड की जाँच जनवरी 2009 में बोर्ड के दल द्वारा की गयी। लोड जाँच प्रतिवेदन के अनुसार, रोलिंग मिल के लोड सहित प्रेरण भट्टी का लोड 15946 के0वी0ए0²⁸ पाया गया। तथापि, 15946 के0वी0ए0 लोड के विरुद्ध, ई0एस0सी0 पटना ने केवल 14500 के0वी0ए0 के लोड का माँग प्रभार विपत्रित किया जिसके फलस्वरूप संविदा माँग का अल्प निर्धारण तथा विपत्रीकरण 1446 के0वी0ए0 से हुआ। फलस्वरूप, अप्रैल 2011 तक बोर्ड को ₹ 2.45 करोड़ की हानि उठाना पड़ा। सम्बद्ध लोड को 30 अप्रैल 2011 को काट दिया गया था (जिसका विवरण परिशिष्ट-17 में दर्शाया गया है)।

बोर्ड ने कहा कि प्रेरण भट्टी के तकनीकी विनिर्देशन के अनुसार, 1725 के0वी0ए0 का सहायक लोड प्रेरण भट्टी के लोड में शामिल था तथा इस पर संविदा माँग तथा विपत्रीकरण के निर्धारण हेतु अलग से विचार नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सहायक लोड प्रेरण भट्टी के लोड का भाग नहीं था। इसके अतिरिक्त, इसी ई0एस0सी0 के कुछ अन्य उपभोक्ताओं के संबंध में, संविदा माँग तथा विपत्रीकरण के निर्धारण हेतु सहायक लोड पर अलग से विचार किया गया था।

3.12.6 ऊर्जा विपत्र जारी करने में अत्यधिक विलम्ब

ई0एस0सी0 छपरा में, 200 के0वी0ए0 के संविदा माँग से ए0ई0, गंगा परियोजना, अनुमंडल 03 को नया मीटर रहित विद्युत कनेक्शन दिया गया। चूँकि सर्विस कनेक्शन प्रतिवेदन (अगस्त 2010 में अंचल कार्यालय द्वारा प्राप्त) प्रदान करने में साढ़े पाँच महीनों का असामान्य विलम्ब था, मार्च 2010 तक उपभोक्ता को कोई ऊर्जा विपत्र निर्गत नहीं किया गया था।

उपभोक्ता के परिसर में इलेक्ट्रिक मीटर का संस्थापन नहीं होने के कारण, अगस्त 2004 से फरवरी 2010 की अवधि का पहला ऊर्जा विपत्र न्यूनतम मासिक प्रत्याभूतित (एम0एम0जी0) खपत आधार पर तैयार किया गया एवं यह उपभोक्ता के

²⁸ (i) प्रेरण भट्टी का लोड (2x15 एम0टी0 निर्माता विनिर्देशन के अनुसार)=12221 के0वी0ए0।

(ii) उपकरण का सहायक लोड =1725 के0वी0ए0
प्रेरण भट्टी का कुल लोड (i+ii)=13946

उपभोक्ता द्वारा आवेदन किये रोलिंग मिल का कुल लोड = 2000 के0वी0ए0
कुल लोड जिसे संस्वीकृत होना चाहिए था = 15946 के0वी0ए0।

पते पर पंजीकृत डाक से भेजा गया था। तथापि, डाक प्राधिकारियों द्वारा विपत्र लौटा दिया गया क्योंकि उपभोक्ता को नहीं खोजा जा सका।

मासिक ऊर्जा विपत्रों के जारी करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण ₹1.53 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई तथा ₹ 0.63 करोड़ के ब्याज की हानि हुई

इस प्रकार सर्विस कनेक्शन प्रतिवेदन की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलम्ब, मासिक विपत्रों के जारी करने में लापरवाह पद्धति, उपभोक्ता की अनुपलब्धता तथा उनके विद्युत लाईन को काटने में विफलता के कारण ₹ 1.53 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

बोर्ड ने इन तथ्यों को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि उपभोक्ता को खोज लिया गया था तथा अप्रैल 2011 में उपभोक्ता द्वारा ₹ 5.04 लाख का भुगतान किया गया। तथ्य यही रहा कि बोर्ड को ₹ 0.63 करोड़ के अवसूलनीय ब्याज की हानि उठानी पड़ी तथा विपत्रों का बकाया वसूली हेतु लम्बित था।

3.12.7 उपभोक्ताओं का गलत वर्गीकरण

टैरिफ आदेश (01.11.2006 से प्रभावी) की धारा 2.3 के खण्ड-क के अनुसार, एन0डी0एस0-III श्रेणी केवल पूजा स्थल तथा कब्रिस्तान/श्मशान को लागू होता है। 60 के0डब्लू तक लोड वाले अन्य शहरी गैर-घरेलू उपभोक्ता एन0डी0एस0-II के अन्तर्गत आते हैं। ई0एस0डी0, मुजफ्फरपुर (शहरी) के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 20 उपभोक्ताओं को (मुख्यतः अस्पतालों तथा दूरसंचार कम्पनियों) एन0डी0एस0-II के स्थान पर एन0डी0एस0-III के रूप में दोषपूर्ण वर्गीकृत किया गया जिससे ₹ 26.07 लाख की राजस्व हानि हुई (अप्रैल 2007 से मार्च 2011)।

बोर्ड ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को तदनुसार लेखापरीक्षा दल द्वारा सलाहनुसार प्रभारित किया गया था।

3.12.8 एच0टी0 श्रेणी में परिवर्तन के कारण हानि

टैरिफ आदेश (नवम्बर 2006) के खण्ड-बी के अनुसार 75 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं को एच0टी0एस0 के अन्तर्गत वर्गीकृत करना था। छह²⁹ ई0एस0डी0 के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ है कि 13 एन0डी0एस0-II उपभोक्ता 67.5 के0डब्लू (जैसे कि 75 के0वी0ए0) के अधिक लोड का प्रयोग करते पाये गये। तथापि, उनके लोड को एक माह के भीतर एन0डी0एस0-II से एच0टी0एस0-I में नियमित नहीं किया गया। विनिर्दिष्ट श्रेणी में लोड परिवर्तन नहीं होने के कारण, बोर्ड को ₹ 1.98 करोड़ (अप्रैल 2006 से मार्च 2011) को राजस्व का हानि उठानी पड़ी।

बोर्ड ने इन तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि कुछ उपभोक्ताओं को एच0टी0एस0-I में परिवर्तित कर दिया गया तथा अन्य उपभोक्ताओं के परिवर्तन की प्रक्रिया प्रगति पर था।

²⁹ ई0एस0डी0 कंकड़बाग, ई0एस0डी0 मुजफ्फरपुर (शहरी), ई0एस0डी0 दानापुर, ई0एस0डी0 बाँकीपुर, ई0एस0डी0 डाकबंगला, ई0एस0डी0 बाँका तथा एन0सी0 डीवीजन, पटना।

3.12.9 वृहत् बकाये वाले उपभोक्ताओं के आपूर्ति का बाधित नहीं होना

दोषी उपभोक्ताओं के आपूर्ति बाधित नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 245.98 करोड़ के बकाये का संवय

बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2002 तथा 2005 के अनुसार, यदि विपन्न में प्रदर्शित देय तिथि के अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा विद्युत शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित कर दी जायेगी। हमने पाया कि सात ई0एस0डी0³⁰ तथा बोर्ड के एक ई0एस0सी0 (मुजफ्फरपुर) में, 3514 उपभोक्ताओं में प्रत्येक का बकाया एक लाख से अधिक था तथा उन्होंने आठ से 30 माह का विद्युत देयता का भुगतान नहीं किया, तथापि उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में इन उपभोक्ताओं का आपूर्ति बाधित नहीं किया गया। इन दोषी उपभोक्ताओं की आपूर्ति बाधित नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 245.98 करोड़ के बकायों का संचयन हुआ (मार्च 2011)।

इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए बोर्ड ने उत्तर दिया कि एक लाख से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं की आपूर्ति को सभी प्रमण्डलों के अन्तर्गत नियमित रूप से काटा जा रहा था। तथापि, बोर्ड ने अब तक ऊर्जा विपत्रों की बकाया राशि को वसूलने हेतु कोई कदम नहीं उठाया है (नवम्बर 2011)।

3.12.10 स्थायी विच्छेदन मामलों के अंतिमीकृत करने में विफलता

पाँच ई0एस0डी0³¹ में 1556 उपभोक्ताओं में प्रत्येक का बकाया ₹ एक लाख से अधिक था तथा उन्होंने 10 से 36 माह का बकाया जमा नहीं किया था। इन उपभोक्ताओं की आपूर्ति अस्थायी रूप से वियोजित कर दी गयी तथा इनका विपत्रीकरण रोक दिया गया। बोर्ड ने न तो अपूर्ति स्थायी रूप से वियोजित किया न ही इन उपभोक्ताओं के खाताओं का अंतिमीकरण किया। इसके फलस्वरूप ₹ 52.86 करोड़ के बकाया राशि की वसूली नहीं हुई (मार्च 2011)।

बोर्ड ने इन तथ्यों को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि देय राशि की वसूली के साथ-साथ मान्य देय राशि का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का वियोजन हेतु कार्रवाई की जा रही थी।

3.13 वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

वर्ष 2005 की राष्ट्रीय विद्युत नीति का एक मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय लाभ प्रदत्ता तथा वाणिज्यिक सक्षमता सुनिश्चित करना था। वर्ष 2010-11 को समाप्त गत पाँच वर्षों में बोर्ड की वित्तीय स्थिति नीचे दी गयी है।

³⁰ ई0एस0डी0 मुजफ्फरपुर (शहरी), ई0एस0डी0 मुजफ्फरपुर (पूर्व), ई0एस0डी0 बिहटा, ई0एस0डी0 दानापुर, ई0एस0डी0 फतुहा, ई0एस0डी0 बाँकीपुर तथा ई0एस0डी0 एन0सी0, पटना।

³¹ ई0एस0डी0 मुजफ्फरपुर (शहरी); ई0एस0डी0 मुजफ्फरपुर (पूर्व); ई0एस0डी0 बिहटा, ई0एस0डी0 फतुहा, ई0एस0डी0 बाँकीपुर।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 (औपबधिक) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| अ. दायित्व | | | | | |
| प्रदत्त पूँजी | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| संचय एवं आधिक्य (पूँजी अनुदान सहित परन्तु मूल्यहारास संचय को छोड़कर) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ऋण (ऋण निधि) | | | | | |
| सरकार से प्राप्त ऋण | 5577.62 | 5764.95 | 6151.01 | 6493.65 | 8493.88 |
| पूँजी देयताएँ | 3829.17 | 4423.27 | 5616.64 | 6763.89 | 8223.35 |
| चालू दायित्व तथा प्राक्धान | 2812.26 | 3049.34 | 3302.59 | 3738.72 | 3832.13 |
| कुल | 12219.05 | 13237.56 | 15070.24 | 16996.26 | 20549.36 |
| ब. सम्पत्तियाँ | | | | | |
| सकल खण्ड | 2242.42 | 2418.34 | 2556.51 | 2864.80 | 3856.07 |
| कम: मूल्य हारा | 1630.81 | 1684.44 | 1740.85 | 1800.57 | 1883.35 |
| निवल रथायी सम्पत्तियाँ | 611.61 | 733.89 | 815.66 | 1064.23 | 1972.72 |
| पूँजी कार्य प्रगति पर | 833.97 | 808.73 | 934.09 | 881.20 | 1282.04 |
| निवेश | 415.02 | 503.94 | 899.78 | 829.57 | 1471.48 |
| राज्य सरकार से प्राप्य साहाय्य | 4315.65 | 4315.65 | 4315.65 | 4315.65 | 4315.65 |
| चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमें | 4454.48 | 4702.33 | 4927.47 | 5316.13 | 5626.61 |
| प्रयोग में नहीं होने वाली सम्पत्तियाँ | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | शून्य |
| नियामक सम्पत्तियाँ | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| संचित हानियाँ | 1524.71 | 2109.41 | 3113.98 | 4525.87 | 5820.86 |
| कुल | 12219.05 | 13237.56 | 15070.24 | 16996.26 | 20549.36 |
| ऋण: अंश | लागू नहीं |
| निवल मूल्य | (-) 1524.71 | (-) 2109.41 | (-) 3113.98 | (-) 4525.87 | (-) 5820.86 |

निम्नलिखित प्रेक्षण किए गए:

- बोर्ड की संचित हानि वर्ष 2006-07 में ₹ 1524.71 करोड़ से 281.77 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 5820.86 करोड़ हो गया।
- ऋण (सरकार से प्राप्त ऋण) वर्ष 2006-07 में ₹ 5577.62 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 8493.88 करोड़ हो गया। चूँकि निवल मूल्य में नकारात्मक वृद्धि थी अतः बोर्ड नकद स्फीति का सामना कर रहा था तथा विभिन्न स्कीम एवं अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मुख्यतः ऋण पर निर्भर था। वर्ष 2006-07 से पूर्ण अवधि से संबंधित ₹ 4315.65 करोड़ की प्राप्य सहाय्य (संचित) पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा मुक्त नहीं की गयी।

3.13.1 कार्यकारी परिणाम

निम्न तालिका वर्ष 2006-07 से 2010-11 से गत पाँच वर्ष की अवधि में बोर्ड के कार्यकारी परिणाम का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करता है।

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं०. | विवरण | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 (औपबधिक) |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1. | आय | | | | | |
| (i) | ऊर्जा शक्ति के विक्रय से राजस्व | 1275.94 | 1464.22 | 1675.56 | 1861.52 | 2409.69 |
| (ii) | राजस्व सहाय्य एवं अनुदान | 720 | 720 | 720 | 840 | 1080.00 |
| (ii) | अन्य आय | 116.32 | 124.04 | 89.74 | 94.37 | 118.85 |
| | कुल आय | 2112.26 | 2308.26 | 2485.30 | 2795.89 | 3608.54 |
| 2. | वितरण (₹000 में) | | | | | |
| (i) | क्रय तथा उत्पादित कुल ऊर्जा शक्ति | 8215.77 | 8264.12 | 8904.25 | 10205.99 | 11198.25 |
| (ii) | कम : संचरण हानियाँ तथा सहायक खपत | 300.85 | 302.82 | 319.56 | 369.41 | 315.39 |
| (iii) | विक्रय हेतु उपलब्ध निवल ऊर्जा शक्ति | 7914.92 | 7961.30 | 8584.69 | 9836.58 | 10882.86 |
| (iv) | कम : सब-ट्रांसमिशन तथा वितरण हानि | 3373.24 | 3109.74 | 3260.05 | 3769.36 | 4743.72 |
| | विक्रय किया गया निवल ऊर्जा शक्ति | 4541.68 | 4851.56 | 5324.64 | 6067.22 | 6139.14 |
| 3. | विद्युत के वितरण पर व्यय | | | | | |
| (क) | स्थायी लागत | | | | | |
| (i) | कर्मचारी लागत | 459.73 | 471.31 | 537.00 | 479.92 | 488.82 |
| (ii) | प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय | 18.95 | 23.98 | 30.04 | 30.06 | 34.74 |
| (iii) | मूल्यहारा | 36.49 | 38.73 | 42.31 | 46.38 | 72.01 |
| (iv) | ब्याज तथा वित्त प्रभार | 597.07 | 608.29 | 631.22 | 672.16 | 747.02 |
| (v) | अन्य व्यय | | | | | |
| | कुल स्थायी लागत | 1112.24 | 1142.31 | 1240.57 | 1228.52 | 1342.59 |
| (ख) | परिवर्तनीय लागत | | | | | |
| (i) | ऊर्जा शक्ति का क्रय ³² | 1493.90 | 1626.77 | 1920.85 | 2529.46 | 3236.93 |
| (ii) | विद्युत शक्ति कर | | | | | |
| (iii) | ट्रांसमिशन/ व्हीलिंग प्रभार | | | | | |
| (iv) | मरम्मत एवं रख-रखाव | 15.73 | 19.97 | 26.55 | 39.30 | 43.54 |
| | कुल परिवर्तनीय लागत | 1509.63 | 1646.74 | 1947.40 | 2568.76 | 3280.47 |
| (ग) | कुल लागत 3 (क)+(ख) | 2621.87 | 2789.05 | 3187.97 | 3797.28 | 4623.06 |
| 4. | वसूली (₹ प्रति यूनिट) (राजस्व सहाय्य सहित) | 4.65 | 4.76 | 4.67 | 4.61 | 5.88 |
| 5. | स्थायी लागत (₹ प्रति यूनिट) | 2.45 | 2.35 | 2.33 | 2.02 | 2.19 |
| 6. | परिवर्तनीय लागत (₹ प्रति यूनिट) | 3.32 | 3.39 | 3.66 | 4.23 | 5.34 |
| 7. | कुल लागत प्रति यूनिट (₹ में) (5+6) | 5.77 | 5.74 | 5.99 | 6.25 | 7.53 |
| 8. | योगदान (4-6) (₹ प्रति यूनिट) | 1.33 | 1.37 | 1.01 | 0.38 | 0.54 |
| 9 | लाभ (+)/हानि(-) प्रति यूनिट (₹ में) (4-7) | (-)1.12 | (-)0.98 | (-)1.32 | (-)1.64 | (-)1.65 |

³² कुल क्रय किए गए ऊर्जा शक्ति में बी0टी0पी0एस0 में उत्पादित निवल ऊर्जा शक्ति सम्मिलित।

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वसूली प्रति यूनिट ₹ 4.65 से बढ़कर ₹ 5.88 हो गयी (26.45 प्रतिशत) तथा साथ ही लागत प्रति यूनिट भी ₹ 5.77 से बढ़कर ₹ 7.53 हो गयी (30.50 प्रतिशत)। वर्ष 2006-11 की अवधि के दौरान योगदान प्रति यूनिट 59.40 प्रतिशत घट गया था।

वर्ष 2006-07 में ₹ 509.61 करोड़ का राजस्व अंतर था (राजस्व साहाय्यों एवं अनुदान सहित), जो वर्ष 2010-11 में बढ़कर ₹ 1014.52 करोड़ हो गया। ऊर्जा विक्रय के उच्च लागत का कारण मुख्यतः ऊर्जा शक्ति के क्रय लागत में वृद्धि एवं ब्याज तथा वित्तीय प्रभार में वृद्धि होना था। बोर्ड को टी0 एण्ड डी0 हानि कम करने तथा इसके प्रचालन क्षमता को बढ़ाने हेतु निवारक उपाय करने की आवश्यकता थी ताकि हानि प्रति यूनिट कम किया जा सके।

3.14 वित्तीय प्रबंधन

बोर्ड की वित्तीय सक्षमता सामान्यतः विभिन्न घटकों से प्रभावित होती है, जो इस प्रकार है;

- कुल राजस्व आवश्यकता (ए0आर0आर0) दायर करना तथा टैरिफ का संशोधन
- प्रचालन की कीमत को कवर करने के लिए टैरिफ की पर्याप्तता।
- सरकार द्वारा प्रतिज्ञात साहाय्य समय पर प्रदान करना।
- सरकार की प्रति साहाय्य नीति तथा बोर्ड द्वारा इसका कार्यान्वयन तथा;

इन घटकों में प्रत्येक की चर्चा निम्न कंडिकाओं में की गयी है।

3.14.1 ए0आर0आर0 दायर करना

निर्दिष्ट तिथि के अन्तर्गत दायर ए0आर0आर0 याचिका के विरुद्ध यदि कोई आपत्ति प्राप्त हो, तो बोर्ड की टैरिफ संरचना बी0ई0आर0सी0 के अनुमोदन से संशोधन के अधीन था। बोर्ड को संबंधित वित्तीय वर्ष आरंभ होने से कम से कम 136 दिन पहले प्रत्येक वर्ष हेतु ए0आर0आर0 दायर करना था अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक वर्ष के 15 नवंबर तक। बी0ई0आर0सी0 न्यायोचित तथा उपयुक्त प्रतीत होने वाले सुधारों/शर्तों के साथ तथा जनता एवं अन्य पणधारियों (स्टेक होल्डर) के सभी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार कर बोर्ड द्वारा दायर आवेदन को अनुमोदित करता है। निम्न तालिका वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में दायर ए0आर0आर0 की स्थिति प्रदर्शित करती है:

| वर्ष | दायर करने की नियत तिथि | दायर करने की वास्तविक तिथि | दिनों में विलम्ब | अनुमोदन का दिनांक | प्रभावी दिनांक |
|---------|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2006-07 | 15/11/2005 | 04/08/2006 | 262 | 29/11/2006 | 01/11/2006 |
| 2007-08 | 15/11/2006 | 18/12/2007 | 399 | अनुमोदित नहीं | - |
| 2008-09 | 15/11/2007 | 14/02/2008 | 91 | 26/08/2008 | 01/09/2008 |
| 2009-10 | 15/11/2008 | 09/10/2009 | 329 | अनुमोदित नहीं | - |
| 2010-11 | 15/11/2009 | 03/02/2010 | 80 | 06/12/2010 | 01/12/2010 |


ए0आर0आर0 दाखिल करने में विलम्ब के कारण बोर्ड को लगभग ₹ 963.85 करोड़ की हानि हुई

यह प्रेक्षित किया गया कि ए0आर0आर0 दायर करने में प्रत्येक वर्ष देरी हुई जिसका परास 80 से 399 दिन था जिसके कारण वर्ष 2007-08 तथा वर्ष 2009-10 में ए0आर0आर0 अस्वीकृत हो गयी। पूर्ण सूचना की प्रस्तुति के अभाव में बी0ई0आर0सी0 द्वारा दायर टैरिफ याचिका को अस्वीकार करने तथा अपेक्षित सूचना के संकलन में अत्यधिक विलम्ब के कारण मुख्यतः टैरिफ दायर करना प्रभावित हुआ। ए0आर0आर0 के विलम्ब से दायर होने के कारण भी टैरिफ संशोधन के अनुमोदन में पाँच से आठ माह का विलम्ब हुआ जिसके कारण वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान बोर्ड को कुल ₹ 963.85 करोड़³³ के राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा कि टैरिफ याचिका दायर करने में विलम्ब का मुख्य कारण संस्थागत व्यवस्था तथा विशेषज्ञता की कमी थी। एक पेशेवर परामर्शदाता को नियुक्त किया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2006-09 की सही याचिका, वर्ष 2010-11 की समीक्षा याचिका तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु ए0आर0आर0 तैयार की गयी है। बोर्ड ने संदर्भित अवधि हेतु ₹ 8000 करोड़ से अधिक के वसूलनीय राजस्व की सही याचिका में दावा दायर किया था।

3.14.2 प्रचालन लागत की वसूली

31 मार्च 2011 को समाप्त गत पाँच वर्षों के दौरान प्रचालन लागत तथा ऊर्जा शक्ति विक्रय से सृजित आय प्रति यूनिट नीचे दिया गया है:



उपर्युक्त दृष्टव्य से यह देखा जा सकता है कि बोर्ड अपने प्रचालन लागत की प्राप्ति में विफल रहा चूँकि प्रति यूनिट प्राप्ति सदैव प्रति यूनिट लागत से कम रहा जिसके कारण वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान प्रति यूनिट हानि में ₹ 1.12 से ₹ 1.65 की वृद्धि हुई।

विस्तृत विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2011 को समाप्त गत पाँच वर्षों के प्रचालन तथा दक्षता के वर्तमान स्तर पर ऊर्जा शक्ति के विक्रय से टैरिफ

³³ ₹ 107.79 करोड़ 2006-07 में, ₹ 114.15 करोड़ 2007-08 में, ₹ 13.95 करोड़ 2008-09 में, ₹ 694.91 करोड़ 2009-10 में एवं ₹ 33.05 करोड़ 2010-11 में।

लाभ-अलाभ स्तरों (प्रतिशतता विषय में) से कम था जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | विक्रय साहाय्य को छोड़ कर | परिवर्तनीय लागत | स्थायी लागत | योगदान | स्थायी लागत की वसूली में घाटा | विक्रय की प्रतिशतता के रूप में घाटा |
|---------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) - (3) | (6) = (4) - (5) | (7) = {(6)/(2)} X 100 |
| 2006-07 | 1275.94 | 1509.63 | 1112.24 | (233.69) | 1345.93 | 105.49 |
| 2007-08 | 1464.22 | 1646.74 | 1142.31 | (182.52) | 1324.83 | 90.48 |
| 2008-09 | 1675.56 | 1947.40 | 1240.57 | (271.84) | 1512.41 | 90.26 |
| 2009-10 | 1861.52 | 2568.76 | 1228.52 | (707.24) | 1935.76 | 103.99 |
| 2010-11 | 2409.69 | 3280.47 | 1342.59 | (870.78) | 2213.37 | 91.85 |

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि योगदान हमेशा नकारात्मक था तथा यह वर्ष 2006-11 के दौरान ₹ 233.69 करोड़ से बढ़कर ₹ 870.78 करोड़ (272.62 प्रतिशत) हो गया जिसके कारण ऊर्जा शक्ति के विक्रय लागत मूल्य की वसूली नहीं हुई। वर्ष 2006-11 के दौरान विक्रय में 88.86 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध, परिवर्तनीय लागत तथा स्थायी लागत में तदनुरूप वृद्धि क्रमशः 117.30 प्रतिशत तथा 20.71 प्रतिशत हुई। परिवर्तनीय लागत में तीव्र वृद्धि ऊर्जा शक्ति क्रय के मूल्य में वृद्धि हेतु आरोप्य था। टैरिफ का संशोधन नहीं होना तथा टैरिफ से संबंधित साहाय्य राज्य सरकार से प्राप्त नहीं करना परिवर्तनीय लागत की वसूली नहीं होने के मुख्य कारण थे।


प्रचालन क्षमता अर्थात् ए0टी0 तथा सी0 हानि में कमी/नियंत्रण, एल0टी0 लाईन को एच0टी0 लाईन में परिवर्तन, दोषपूर्ण मीटर/मीटर रहित कनेक्शन का मीटर लगाना, विपत्रीकरण को सुधारना तथा संग्रहण क्षमता आदि को सुधार कर लागत वसूल की जा सकती थी, जिसकी चर्चा इस निष्पादन लेखापरीक्षा में अलग से की गयी है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं में प्रति आर्थिक साहाय्य देने में कमी स्थिति को सुधारने में सहायता कर सकती थी जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में समीक्षा की गयी है।

3.14.3 साहाय्य सहायता

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार, सरकार को बोर्ड को अग्रिम स्वरूप भुगतान करने की आवश्यकता थी ताकि उनका प्रचालन बुरी तरह प्रभावित न हो।

निम्न आरेख 31 मार्च 2011 को समाप्त गत पाँच वर्षों में राज्य सरकार से राजस्व साहाय्य सहायता विक्रय³⁴ की प्रतिशतता के रूप में प्रदर्शित करती है:

³⁴ ऑकड़ों में रियायत टैरिफ हेतु राज्य सरकार से प्राप्त राजस्व साहाय्य सम्मिलित नहीं है।



विक्रय की प्रतिशतता के संदर्भ में सरकार से साहाय्य सहायता वर्ष 2009-10 के अलावा वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान घट रही थी। राजस्व साहाय्य का परास 42.97 तथा 56.43 के बीच रहा जो कि एक चिंता का विषय था, क्योंकि साहाय्य प्रावस्थाबद्ध तरीके से एक समयावधि के बाद वापस लिया जा सकता था ताकि टैरिफ उपभोक्ताओं को आपूर्ति की औसत लागत कवर कर सके। इसके अतिरिक्त, मार्च 2011 को समाप्त गत पाँच वर्षों के दौरान साहाय्य का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 (औपबन्धिक) |
|---|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| आदि शेष | 4315.65 | 4430.52 | 4583.80 | 4662.5 | 4732.58 |
| योग: वर्ष के दौरान राज्य सरकार से प्राप्य | 834.87 | 873.28 | 798.7 | 910.08 | 1080 |
| कम : वर्ष के दौरान प्राप्त | 720 | 720 | 720 | 840 | 1080 |
| अंत शेष | 4430.52 | 4583.80 | 4662.5 | 4732.58 | 4732.58 |

वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान, ₹ 4,496.93 करोड़ के साहाय्य दावों के विरुद्ध, राज्य सरकार ने ₹ 4,080 करोड़ का साहाय्य मुक्त किया था। ₹ 416.93 करोड़ का साहाय्य कम मुक्त किया गया था तथा वर्ष 2006-07 से पूर्व अवधि से संबंधित ₹ 4,315.65 करोड़ वसूली हेतु लम्बित थी। फलस्वरूप, इसके प्रचालन का वित्तपोषण करने हेतु, बोर्ड को सरकार से ऋण का सहारा लेना पड़ा जो ₹ 5,577.62 करोड़ (2006-07) से बढ़कर ₹ 8,493.88 करोड़ (2010-11) हो गयी।

3.14.4 सरकार की प्रति अर्थ-साहाय्यता देने की नीति तथा इसका कार्यान्वयन

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 निर्दिष्ट करता है कि टैरिफ विद्युत आपूर्ति का औसत लागत उत्तरोत्तर प्रतिबिंबित करना चाहिए तथा प्रावस्थाबद्ध तरीके से प्रति साहाय्य कम करना चाहिए। राष्ट्रीय टैरिफ नीति भी विचार करता है कि उपभोक्ताओं के सभी श्रेणियों के टैरिफ का परास वर्ष 2010-11 तक आपूर्ति की औसत लागत से 20 प्रतिशत अधिक अथवा कम के भीतर हो। अनुमोदित टैरिफ के

अनुसार निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि से इस संबंध में स्थिति **परिशिष्ट-18** में दर्शायी गयी है।

परिशिष्ट-18 से देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति में जिस लक्ष्य का अनुमान लगाया गया था उसकी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि निष्पादन लेखा-परीक्षा अवधि से प्रति साहाय्य की प्रतिशतता का परास 12.72 से 91.17 में था, जबकि कृषीय श्रेणी को सबसे ज्यादा आपूर्ति के औसत लागत का 73.26 प्रतिशत तथा 91.17 प्रतिशत के बीच आर्थिक साहाय्य प्राप्त हुआ। रेलवे ट्रैक्शन को सबसे कम आपूर्ति के औसत लागत के 20.69 प्रतिशत तथा 32.10 प्रतिशत बीच आर्थिक साहाय्य प्राप्त हुआ। वर्ष 2008-09 में विद्युत शक्ति के अंतर्राज्यीय विक्रय का प्रति साहाय्य 12.22 प्रतिशत था।

3.15 उपभोक्ता तुष्टीकरण

ऊर्जा शक्ति सुधार के कई प्रमुख तत्वों में एक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा उनकी उच्चस्तरीय सेवा सुनिश्चित करना था। उपभोक्ता अक्सर ऊर्जा शक्ति की आपूर्ति संबंधी समस्याएँ जैसे कि नये कनेक्शन अथवा कनेक्टेड लोड के विस्तार की निर्मुक्ति हेतु वितरण प्रणाली की अनुपलब्धता, लाईन तथा/अथवा ट्रांसफॉर्मर का बार-बार खराब होना तथा अनुचित मीटरिंग एवं विपत्रीकरण का सामना करते हैं। बोर्ड को उपभोक्ताओं का संतोष बढ़ाने तथा उनके आने वाले शिकायतों को दूर करने हेतु कंप्यूटरीकृत विपत्रीकरण का शुरुआत, ऑनलाईन विपत्र भुगतान, उपभोक्ता केयर सेंटर इत्यादि की स्थापना आदि उपभोक्ता अनुकूल कार्रवाई आरंभ करने की आवश्यकता थी। विपत्रीकरण के मुद्दों की समीक्षा पूर्व की कंडिकाओं में की गयी है। शिकायतों के निवारण की चर्चा नीचे की गयी है।

3.15.1 शिकायतों का निवारण

बी0ई0आर0सी0 ने विद्युत अधिनियम 2003 के अनुपाल में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल (ऑम्बुड्समैन) विनियम 2006 में शिकायतों के निवारण हेतु विधि तथा समय सीमा निर्दिष्ट किया। आयोग ने बोर्ड के लिए निष्पादन के मानकों को निर्दिष्ट किया जिसमें उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने हेतु समय-सीमा तथा इसका अनुसारेण नहीं होने पर देय मुआवजा दिया गया है। मानकों में सेवा की प्रकृति समाहित थी साथ ही लाईन ब्रेकडाउन, वितरण ट्रांसफॉर्मर की खराबी, लोड शेडिंग/नियत बहिरंश (आऊटेजस), वोल्टेज परिवर्तन, मीटर संबंधी शिकायतें, नये मीटर/कनेक्शन अथवा शिफ्टिंग का संस्थापन इत्यादि सम्मिलित थे। दो अलग रकंध अर्थात् (i) लोक शिकायत (पी0जी0) प्रकोष्ठ तथा (ii) उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सी0जी0आर0एफ0) का गठन उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करने हेतु किया गया।

इस संबंध में निष्पादन के निर्धारण करने हेतु शिकायतों का संकलन करने हेतु, बोर्ड द्वारा अलग पंजियों का अनुरक्षण किया गया। उपर्युक्त प्रावधान बोर्ड को अप्रैल 2007 (अधिसूचना की तिथि) से लागू था। तथापि, बी0ई0आर0सी0 ने बोर्ड को उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन से एक वर्ष की छूट स्वीकृत किया था। शिकायतों की प्राप्ति तथा उनके समाशोधन संबंधी समग्र स्थिति निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(संख्या लाख में)

| क्रम सं० | विवरण | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 ³⁵ |
|----------|---|---------|---------|-----------------------|
| 1. | प्राप्त कुल शिकायतें | 3.14 | 3.35 | 3.05 |
| 2. | समय पर निवारण की गई शिकायतें | 2.59 | 2.43 | 2.57 |
| 3. | समय से परे निवारित शिकायतें | 0.20 | 0.40 | 0.15 |
| 4. | लम्बित शिकायतें | 0.35 | 0.52 | 0.33 |
| 5. | कुल शिकायतों में समय से परे निवारित शिकायतों की प्रतिशतता | 17.52 | 27.46 | 15.74 |

यद्यपि वर्ष 2010-11 के दौरान शिकायतों के निवारण में सुधार हुआ (समय पर 84.26 प्रतिशत शिकायतों का निवारण हुआ) तथापि बोर्ड को इस संबंध में निर्दिष्ट समय सीमा का पालन करना चाहिए।

बी०ई०आर०सी० ने बोर्ड को निष्पादन के मानकों पर त्रैमासिक/वार्षिक सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2007)।

हमने प्रेक्षित किया कि:

- वर्ष 2009-10 के दौरान, 16 अंचलों में 9 अंचल खराब ट्रांसफॉर्मर के प्रतिस्थापन से संबंधित बी०ई०आर०सी० द्वारा तय लक्षित निष्पादन स्तर (95 प्रतिशत) को प्राप्त नहीं कर सका।
- वर्ष 2010-11 के दौरान, 11 अंचलों में नौ अंचलें विपत्रीकरण में त्रुटियों के सुधार से सम्बन्धित बी०ई०आर०सी० द्वारा तय लक्षित निष्पादन स्तर (99 प्रतिशत) को प्राप्त नहीं कर सका।
- वर्ष 2010-11 के दौरान, नये कनेक्शन, जहाँ वितरण मेंस के विस्तार की आवश्यकता थी, से संबंधित 9712 शिकायतों में (11 अंचलों में) केवल 925 शिकायतें (9.52 प्रतिशत) ही निर्दिष्ट समय सीमा में निवारण किये गये।

3.16 ऊर्जा संरक्षण

इस तथ्य की स्वीकार करते हुए कि ऊर्जा का दक्षतापूर्ण प्रयोग तथा इसका संरक्षण माँग तथा आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने का सबसे सस्ता विकल्प है, भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 बनाया। ऊर्जा का संरक्षण एक बहु-आयामी क्रियाकलाप होने के कारण, अधिनियम विभिन्न संगठनों की ओर से प्रोत्साहनात्मक एवं नियामक दोनों भूमिका का प्रावधान करता है। प्रोत्साहनात्मक भूमिका में जागृति अभियान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, प्रदर्शन परियोजनाएँ, आर० एण्ड डी० तथा औचित्य अध्ययन सम्मिलित है। नियामक भूमिका में वृहत् ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य लेखापरीक्षा हेतु नियम बनाना, विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत के प्रतिमानकों का उपाय करना, राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन के मानकों एवं प्रावधानों का कार्यान्वयन सम्मिलित थे।

हमने प्रेक्षित किया कि ऊर्जा संरक्षण हेतु क्रियान्वित किये जाने वाले उपाय से संबंधित बी०ई०आर०सी० द्वारा जारी अनुपालन निर्देश हेतु टैरिफ आदेश 2006-07 के बावजूद, बोर्ड ने वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान किसी ऊर्जा संरक्षण नीति को प्रतिपादित नहीं किया। बोर्ड ने ऊर्जा टी० एण्ड डी० हानि की कमी को

³⁵ विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पटना तथा सहरसा को छोड़कर।

प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन, सौर जल हीटर आदि जैसे गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने जैसा कोई प्रोत्साहनात्मक उपाय आरंभ नहीं किया। बोर्ड ने माँग पक्ष के ऊर्जा संरक्षण हेतु किसी जागृति अभियान का शुभारंभ नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार, 500 के0डब्लू0 अथवा अधिक कनेक्टेड लोड वाले नये वाणिज्यिक भवनों हेतु ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड के कार्यान्वयन हेतु अनिवार्य प्रावधान था। तथापि, बोर्ड ने ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड का कार्यान्वयन नहीं किया।

3.17 ऊर्जा लेखांकन तथा लेखापरीक्षा

ऊर्जा शक्ति हानियों के क्षेत्रों का अभिज्ञान करने के उद्देश्य से तथा क्रय/विक्रय किए गये यूनितों का समुचित लेखांकन तथा प्रत्येक स्तर पर हानि के अलावा प्रणाली में सुधार के जरिये ऊर्जा शक्ति हानियों को कम करने हेतु कदम उठाने के लिए एक व्यापक ऊर्जा लेखापरीक्षा की संकल्पना की गयी। ऊर्जा लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

- उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत शक्ति की खपत का बेहतर तथा सही अनुश्रवण;
- अपव्यय का विलोपन;
- उपकरण के खराबी में कमी;
- प्रचालन मूल्य में व्यापक बचत तथा राजस्व में वृद्धि आदि।

वितरण प्रणाली में मीटरों के संस्थापन नहीं होने के कारण बोर्ड ऊर्जा शक्ति लेखापरीक्षा प्रारम्भ नहीं कर सका।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि बोर्ड वितरण भाग में पूर्ण रूप से सिस्टम मीटरों का संस्थापन नहीं कर सका (11 के0वी0 फीडर साथ ही डी0टी0आर0 में)। 16 अंचलों के विरुद्ध, केवल 12 अंचलों में सिस्टम मीटरिंग का संस्थापन हुआ। 43491 डी0टी0आर0 की कुल संख्याओं के विरुद्ध, 16035 डी0टी0आर0 में मीटर संस्थापित किये गये। इस प्रकार, वितरण प्रणाली में मीटरों का संस्थापन नहीं होने के कारण, बोर्ड वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान ऊर्जा लेखापरीक्षा आरंभ नहीं कर सका।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने मासिक ऊर्जा लेखांकन प्रतिवेदन तैयार नहीं किया था जो उपलब्ध मीटर रीडिंग तथा ट्रांसमिशन हानि की गणना हेतु ग्रिड सब-स्टेशन (220/132 के0वी0) से पावर सब-स्टेशन (33 के0वी0) तक आपूर्ति किये ऊर्जा पर आधारित था। वितरण हानि की गणना हेतु 11 के0वी0 अथवा एल0टी0 साइड पर आपूर्ति किये गये ऊर्जा के लेखाकरण हेतु कोई ऊर्जा लेखाकरण रिपोर्ट तैयार नहीं किया गया।

3.18 उच्च प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण

राज्य की अर्थव्यवस्था में बोर्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे विशाल संगठन को प्रचालन में मितव्ययी रूप से, दक्षतापूर्ण तथा प्रभावी रूप से सफल होने के लिए उच्च प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आइ0एस0) होना चाहिए। बोर्ड उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा वितरण प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए एक व्यापक एम0आइ0एस0 प्रणाली विकसित कर चुका था (मार्च 2010)।

यह देखा गया कि वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान कोई प्रभावी एम0आई0एस0 नहीं था। निम्नलिखित प्रेक्षण किये गये:

- जैसा कि पहले ही चर्चा की गयी; बोर्ड समय पर ए0आर0आर0 की तैयारी हेतु आवश्यक सूचना संग्रह तथा संकलन नहीं कर सका, जिससे बी0ई0आर0सी0 को ए0आर0आर0 के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हुआ। ए0आर0आर0 दायर करने में विलम्ब का परास निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 80 से 399 दिनों के बीच था। फलस्वरूप, बोर्ड को निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ₹ 963.85 करोड़ का राजस्व हानि उठाना पड़ा।
- निष्पादन लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा ट्रांसफॉर्मर की खराबी हेतु कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया। ट्रांसफॉर्मर हेतु रख-रखाव सारणी, आधारभूत अभिलेख जैसे कि ट्रांसफॉर्मर की गणना, हिस्ट्री कार्ड का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। उचित अनुश्रवण प्रणाली के अभाव में, ट्रांसफॉर्मर की हानि दर में निरंतर रूप से वर्ष 2006-07 से 2010-11 के अवधि के दौरान 10.4 प्रतिशत से 17.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- बोर्ड ए0टी0 तथा सी0 हानि एवं टी0 एण्ड डी0 हानि को कम नहीं कर सका जो वर्ष 2009-10 के दौरान क्रमशः 37.54 तथा 38.32 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 के दौरान 42.79 तथा 43.59 प्रतिशत हो गया।
- बोर्ड ने निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कुल बकाया राजस्व का केवल 18.95 प्रतिशत से 25.86 प्रतिशत वसूल किया जिससे राजस्व वसूली का निम्न अनुश्रवण प्रदर्शित हुआ।
- बोर्ड ने एस0टी0एफ0 हेतु छापामारी करने के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया। छापामारी की प्रतिशतता का परास निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कुल उपभोक्ता के विरुद्ध 0.08 तथा 0.24 प्रतिशत के बीच रहा।

निष्कर्ष

अतिरिक्त आधारभूत संरचना के सृजन हेतु योजना अपूर्ण था क्योंकि इसे क्षेत्रवार भविष्यत् लोड वृद्धि पर विचार किये बिना किया गया था जिसके कारण परिणामन क्षमता तथा कनेक्टेड लोड बेमेल हो गया।

ग्रामीण विद्युतीकरण में बोर्ड का निष्पादन अत्यंत निम्न था क्योंकि यह समीक्षा अवधि के दौरान विद्युतीकरण हेतु लक्षित गाँवों में 41 प्रतिशत का ही विद्युतीकरण कर सका। यह आवंटित निधि का केवल 44 प्रतिशत ही व्यय कर सका तथा ₹ 320 करोड़ अपव्ययित रहा। निम्न संविदा प्रबंधन, अनुश्रवण की कमी तथा परियोजनाओं के अक्षम क्रियान्वयन के कारण परियोजनाओं में विलम्ब हुआ तथा लागत वृद्धि का सामना करना पड़ा तथा बोर्ड स्कीमों का वांछित लाभ नहीं पा सका।

उपभोक्ता मीटरिंग में बोर्ड का निष्पादन उत्साहवर्धक नहीं था क्योंकि उपभोक्ता मीटरिंग का लक्ष्य किसी भी वर्ष में प्राप्त नहीं हुआ था। कुल 35 लाख उपभोक्ताओं में 10.24 लाख उपभोक्ताएँ मीटर रहित थे जबकि 1.28 लाख उपभोक्ताओं का मीटर दोषपूर्ण था। बोर्ड ऊर्जा शक्ति क्रय का सही

निर्धारण करने में असफल रहा। यू0आई0 के अन्तर्गत ऊर्जा शक्ति के निकास के कारण बोर्ड को अतिरिक्त व्यय हुआ। बोर्ड द्वारा चलाया गया अभियान सफल नहीं हुआ क्योंकि बोर्ड टी0 एण्ड डी0 हानि को कम करने में असफल रहा। डी0टी0आर0 खराबी दर तथा नये कनेक्शन प्रदान करने में विलम्ब लगातार बढ़ता रहा। एस0टी0एफ0 तथा संबंधित प्रमण्डलों में छापामारी के बीच समन्वय में कमी होने के कारण वांछित परिणाम नहीं मिल पाया।

बोर्ड ने समय पर ए0आर0आर0 प्रस्तुत नहीं किया तथा प्रति साहाय्य सहायता मानकों से परे था। उपभोग की गयी ऊर्जा का विपत्रीकरण सफल नहीं था जिसके फलस्वरूप, बोर्ड को कम विपत्रीकरण अथवा विपत्रीकरण नहीं करना, टैरिफ का अनुचित अनुप्रयोग, उपभोक्ताओं का गलत वर्गीकरण आदि के कारण राजस्व हानि सहना पड़ा। राजस्व संग्रहण भी निम्न था क्योंकि ₹ 5,700 करोड़ संग्रहण हेतु बकाया था।

बोर्ड निर्दिष्ट समय सीमा में उपभोक्ताओं के शिकायतों का निवारण करने में असफल रहा, विशेषकर जले ट्रांसफॉर्मर का प्रतिस्थापन तथा नये कनेक्शन प्रदान करने के मामले में। चूँकि सभी आपूर्ति अंचलों में सिस्टम मीटरिंग नहीं हुआ था अतः फीडर तथा डी0टी0आर0 पर सिस्टम मीटर के संस्थापन के बावजूद 11 के0वी0 फीडर तथा डी0टी0आर0 के सन्दर्भ में ऊर्जा लेखांकन नहीं हुआ था। ऊर्जा संरक्षण की जागृति के प्रति कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गयी थी।

अनुशंसाएँ

- अतिरिक्त आधारभूत संरचना के सृजन हेतु योजना पूर्व लोड वृद्धि प्रवृत्ति, वर्तमान लोड तथा भविष्य में प्रक्षिप्त लोड वृद्धि के आधार पर होना चाहिए ताकि सिस्टम को समान रूप से सक्षम बनाया जा सके तथा सभी अंचलों में परिणमन (ट्रांसफॉर्मेशन) क्षमता तथा कनेक्टेड लोड के बीच के अंतराल को कम किया जा सके। बोर्ड उद्देश्य हेतु उपलब्ध करायी गयी निधि को व्यय कर ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाए।
- विलम्ब तथा लागत वृद्धि से बचने के लिए प्रभावी संविदा प्रबंधन तथा परियोजना एवं स्कीमों के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण होना चाहिए।
- बोर्ड को प्रावस्थाबद्ध तरीके से टी0 एण्ड डी0 हानियों को कम करने हेतु प्रभावी उपाय का कार्यान्वयन करना चाहिए।
- विपत्रीकरण प्रणाली में टैरिफ का सही अनुप्रयोग सुनिश्चित होना चाहिए तथा बोर्ड को बकाया देय राशि की वसूली तथा संग्रहता में तत्पर रहना चाहिए।
- बोर्ड को समय पर ए0आर0आर0 दायर करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि नये दर के विलम्बित कार्यान्वयन के कारण हानियों को कम किया जा सके।
- बोर्ड को सभी आपूर्ति अंचलों में सिस्टम मीटर का संस्थापन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ऊर्जा शक्ति लेखापरीक्षा आरंभ की जा सके तथा साथ ही बोर्ड को ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागृति अभियान की शुरुआत भी करनी चाहिए।